Allahabad Division and many have been arrested. I am told that yesterday also when they were demonstrating before the Divisional Officer and other officials in Allahabad, they have been arrested. I will request the hon. Minister of Railways, through you, that he should make a statement.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : Though the hon Minister for Petroleum and Chemicals yesterday gave a statement about the rise in the price of drugs, the actual position is that prices of drugs commonly used by the common man have been raised. This must be discussed and some opportunity must be given to discuss the statement that he give yesterday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said yesterday that if any Member gives a notice under rule 184, the Minister has said that he would be glad to have a discussion.

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I have given a notice under rule 193.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : I have another very serious matter to raise.

MR. DEPUTY SPEAKER : You cannot raise two things at one and the same time.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY : It is very important. The matter relates to the assurance given by the External Affairs Minister yesterday here. There is a specific denial by the Government of Pakistan. The whole prestige of the country is at stake. What our Minister says here is definitely denied by the Government of Pakistan.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Kindly resume your seat. I cannot violate the rules for you. I have the same yardstick for every Member.

14.08 hrs.

MOTIONS *RE* : REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ; AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—*Contd.*

श्री हिम्मतसिंहका : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में किस ढंग से विचार हो रहा है, यह आप इस से समझ सकते हैं कि सरकार तीन बरस तक शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट्स पर विचार करने के लिए समय नहीं निकाल सकी और इस समय एक-साथ तीन रिपोर्टस पर विचार किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मदद अनुसूचित जातियों या आदिवासियों को दी जाती है, वह उन को समय पर नहीं मिलती है । विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां समय पर न मिलने के कारण उन्हें काफी तक्लीफ होती है । जो विद्यार्थी छात्रावासों में रहते हैं, उन्हें भी समय पर छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं । इस लिए ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए कि जो छात्रवृत्तियां या मदद दी जाती है, वह सीधे कालेजों और छात्रावासों के अधिकारियों के पास भेज दी जाये, ताकि इस बारे में कोई गड़बड़ न हो । बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जो छात्रवृत्तियां किन्हीं अध्यापकों के पास भेजी जाती हैं, वे पूरे परिमाण में विद्यार्थियों के पास नहीं पहुँचती हैं और बीच में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है । इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए कि जो मदद अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए निर्धारित की जाये , वह समय पर और पूरे परिमाण में उन के पास पहुँच जाये ।

बहुत से आदिवासियों को जमीन मिली है, लेकिन उस को जोतने के लिए उन के पास साधन नहीं हैं । इस लिए यह भी इन्जाम होना चाहिए कि जिन बस्तियों में गरीब जातियों या आदिवासी या अनुसूचित जातियों के बाशिन्दे बहुत ज्यादा तादाद में हैं, वहां उन्हें हल बैल वगैरह उपलब्ध किये जायें । ताकि उन की जमीन समय पर जोती जा सके और उन्हें मदद मिल सके । इसी तरह से पानी का इंतजाम भी गांवों में ऐसी जगहों पर नहीं है जहां पर गरीब आदमी ज्यादातर के हैं या शेड्यूल्ड

[श्री हिम्मतसिंहका]

कास्ट के आदमी जहां ज्यादा हैं। वहां ऐसी हालत हो रही है कि कुएं का ठेका दिए जाने पर भी काम नहीं हो रहा है। प्रखण्ड विकास के पदाधिकारी ऐसे आदमियों को ठेका देते हैं जो कि काम को करते नहीं क्यों कि उन के दबाव में प्रखण्ड विकास अधिकारी रहते हैं और वह उन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए सरकार का पैसा लगने पर भी कुएं नहीं बन पा रहें हैं और लोगों को पानी की जो तकलीफ थी वह जारी है। संथाल परगना के सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जहां पर आदिवासी और हरिजन रहते हैं लेकिन जहां पर पीने के पानी का इन्तजाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। ठेके दे दिये गये हैं लेकिन कुएं बनते नहीं हैं। पैसे ले कर ठेकेदार खा जाता है और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कुछ नहीं करते। इसलिए ऐसा कुछ इन्तजाम होना चाहिए कि ऐसी जगहों पर सरकार की तरफ से कुएं बनें और गांव से किसी तरह का अनुदान मिलने की उम्मीद न रखें यानी सौ रुपया खर्चा होता है तो सरकार की तरफ से खर्चा कर के कुएं वगैरह बना देने चाहिए ताकि वहां पर पानी पीने का इन्जाम अच्छी तरह से हो सके। एक सज्जन ने कहा कि मैं इस के सम्बन्ध में क्या कहूँगा, लेकिन वह जानते नहीं हैं कि जो आदमी आदिवासियों में या हरिजनों में काम करते हैं, उन के लिए कुछ खाने पीने का या पढ़ाई का या दवा का इन्तजाम करते हैं वह जितनी बातें बोल सकते हैं वह ली यहां पर बैठ कर के जो बोलना चाहते हैं वह उस से कहीं पीछे ही रह जाएंगे। संथाल परगना में एक संस्था है संथाल पहाड़िया सेवा मंडल जो करीब करीब दस हजार आदमियों जिन में हरिजन और आदिवासी ज्यादाकर के हैं, उन में दवाई का इन्तजाम कर रही है। लेकिन सरकार से जो मदद मिलती है वह समय पर नहीं मिलती है। इसलिए जो काम करने का है वह ठीक समय पर हो तो जितने फायदे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उस से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन वह हो नहीं रहा है। स्कूल वगैरह में जो पैसे दिये जाते हैं या छात्र-वृत्ति दी जाती है उस के लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसा इंतजाम करे ताकि उन लोगों को मदद पूरी तरह से मिल सके और उन के हल बैल वगैरह के इन्तजाम के लिए भी मदद हो ताकि उन की जमीन वगैरह जोती जा सके। जो भी सहायता उन को देते हैं वह समय पर मिल जाय तो बहुत ज्यादा फायदा उन को हो सकता है।

श्री राम चरण (खुर्जा) : उपाध्यक्ष जी,

दास्ताने गम किस को सुनाएं
सुनने वाले हजार हैं
पर दर्द आशना कोई नहीं ॥

हम बीस साल से अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को सुनाते चले आ रहे हैं। सुनने वाले तो हजार मिल जाते हैं लेकिन उस का कोई हल आज तक नजर नहीं आया। हमारे देश में 90 फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग देहातों में रहते हैं। उस 90 फीसदी में से 73 फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ऐग्रीकल्चरल लेबर का काम करते हैं। उसमें से 35 परसेंट ऐसे हैं जिन के पास सब-लेटिंग कर के या सब-टेनेंट बन के थोड़ी सी जमीन है जिस से वह गुजर करते हैं। इस से जाहिर है कि अधिकतर यानी 8 फीसदी के करीब लेंडलेस लेबर इस हिन्दुस्तान में है जिस का मतलब है कि दस करोड़ में करीब-साढ़े सात करोड़ के गरीब हरिजन बेरोजगार जैसे हैं। इस के अलावा जमीन का जहां तक मसला है एक बार हम आज से दस साल पहले इस देश के एक स्वर्गीय नेता से मिले थे, जब मैं सर्विस में था, हम ने कहा कि आप हम हरिजनों को जमीन दे दीजिए। उन्होंने कहा

कि जमीन कोई रबड़ तो नहीं है कि जिस को खींच कर मैं आप में बांट दूं।

एक माननीय सदस्य : कौन थे ?

श्री राम चरण : मैं नाम नहीं बताना चाहता। इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। मैं आप से यह बताना चाहता हूं कि जब हम ने सर्विस में नियुक्तियों तथा पदोन्नति के विषय में यह कहा कि प्रथम और दूसरी श्रेणी का और प्रोमोशन का हमारा कोटा बढ़ाया जाये तो उन्होंने कहा कि अनफिट आदमियों को कैसे प्रोमोट करा देंगे ? मुझे यह इसलिए कहना पड़ता है कि हमारे शोषित वर्ग का तीन प्रकार से शोषण होता है—सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और तीसरा राजनैतिक शोषण। तो सामाजिक शोषण के ऊपर तो कई हमारे आनरेबल एम० पीज० ने काफी प्रकाश डाला है कि हम पर किस प्रकार का जुल्म होता है। पानी हमें भरने नहीं दिया जाता, यहां तक कि होटलों में खाने के लिए बर्तनों में नहीं खिलाया जाता और छुआछूत बरता जाता है। कहीं मारपीट, कहीं आगजनी, तरह तरह से सताया जाता है और पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती। कभी डीटेल में नहीं जाती। उस के लिए जैसा कहा गया अनटचेबिलिटी ऐक्ट को अमेंड किया जाये, मेरा विचार है कि सोशल इनईक्वलिटी जो है यह कानून से नहीं बदलेगी। इस के लिए इस देश का जो लिटरेचर है, जो गन्दा लिटरेचर है जिस के अन्दर यह पक्षपात और सामाजिक विषमता की बात है उस को खत्म कर देना चाहिए और इस के साथ-साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो छुआछूत की विचारधारा को मिटाना चाहती हैं जैसे आर्य समाज है और ऐसे जो मिशंस हैं उन को गवर्नमेंट प्रोत्साहन दे और उन के जरिए से यह छुआछूत और यह भावना मिटाएं।

इस के बाद एकोनामिक डेवलपमेंट की बात है। मैं कहता हूं कि हमारे देश के 72 फीसदी आदमी ऐसे हैं कि ज्यादातर जो गरीब हैं। यानी 82 फीसदी इस देश की टोटल पापुलेशन का आदमी ऐसा है कि जो 1 रुपया पर डे एक्सपेंड करता है जैसा कि एक बार प्राइम मिनिस्टर ने संसद् में बताया था कि 82 प्रतिशत आदमी इस देश में ऐसे हैं कि जो एक रुपये से कम व्यय करते हैं। इस से साफ जाहिर होता है कि हरिजनों में 95 या 96 प्रतिशत आदमी ऐसे हैं कि जो 1 रुपये से कम कमाते हैं और खर्च करते है। इस से आप अन्दाजा लगा लीजिए कि उनका आर्थिक विकास कैसे होगा। तीन पंचवर्षीय योजनाएं गुजरी। हरिजनों के एकोनामिक डेवलपमेंट के लिए केवल उन्होंने 72.46 करोड़ रुपया दिया। इस से अन्दाजा लगाइए कि प्रति हरिजन के ऊपर तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में कितने नये पैसे का खर्च किया गया। तो इस तरह से कैसे देश में गरीब हरिजनों का उत्थान होगा ? मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप ने पाकिस्तान से आए हुए भाइयों को नेशनल प्राबलम मान कर उन का उद्धार किया था इसी तरह इन को भी नेशनल प्राबलम मान कर वार फुटिंग पर इस प्राबलम को साल्व करिए। वरना यह कुछ भी हो सकते हैं, नक्सलाइट भी हो सकते हैं और सब कुछ हो सकते हैं। इस के लिए मेरा सुझाव यह है कि जमीन का सही वितरण किस तरह से हो। हिन्दुस्तान के जितने पुराने प्रोसीजर्स हैं, सिविल लाज हैं, उन को अमेंड किया जाये जिस से कि जमीन की सीलिंग करने के बाद जो सरप्लस लैंड हो वह लैंडलेस ऐग्रीकल्चरल लेबर के बीच में बंट जाय। आज वह बंट नहीं पाती। जैसा कि मेरे साथियों ने बताया बड़ी-बड़ी परेशानियां उस में आती हैं, लिटिगेशन की बात आल इण्डिया बेसिस पर इस तरह का कोई प्रोसीजर, कानून या सिद्धान्त सरकार माने कि इतने से ज्यादा सीलिंग की जमीन एक परिवार से ली जायेगी और इस के बाद सरलप्स जमीन लैंडलेस ऐग्रीकल्चरल लेबर को दी जायेगी जिस से कि उस गांव में रहने वाले हरिजन किसान

[श्री राम चरण]

मजदूर अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से इज्जत के साथ गुजर कर सकें। यू० पी० के अन्दर तेरह-तेरह सौ एकड़ के फार्म एक-एक व्यक्ति के हैं और उस में पूंजीपति, पालिटिशियन, करप्ट आफिसर्स, अधिकारी, जिस में मिनिस्टर तक भी रह चुके हैं उन के बड़े-बड़े फार्म हैं। लेकिन हरिजनों को जमीन नहीं दी जाती। यह मेरे प्रदेश यू० पी० की बात है। मेरा सुझाव है कि हरिजनों के पास पैसा नहीं है कि वह जमीन खरीद सकें, इस के लिए एक फाइनेंस कारपोरेशन हर स्टेट के अन्दर बनाया जाय, स्टेट गवर्नमेंट को कम्पेल किया जाय कि वह ऐसा कारपोरेशन सेट अप करें। उस को फीड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए एक वीकर सेक्शन बेटरमेंट लेवी इम्पोज करें जिस से 50 परसेंट उस का स्टेट बेयर तैयार करे और 50 परसेंट सेंटर बेयर करे। इस प्रकार से न हो कि जैसे 72 करोड़ रुपया आप ने दे दिया वैसे नहीं। हर स्टेट में यह फाइनेंस कारपोरेशन सेट अप करें और यह वीकर सैक्शन बेटरमेंट लेवी इम्पोज करें आन दी बेसिस आफ एवेरी इण्डिविजुअल चाहे वह ऐग्रीकल्चर की इनकम हो चाहे फैक्ट्री की इनकम हो इनकम के ऊपर इस को इम्पोज करें। तब इनका उद्धार हो सकता है। जब यह फाइनेंस कारपोरेशन बन जाय तो उन को पावर दी जाय कि अगर कोई हरिजन जमीन खरीदना चाहता है या इंडस्ट्री लगाना चाहता है या बिजनेस स्टार्ट, करना चाहता है तो उस को उस से फाइनेंस किया जा सके।

और वह फाइनेन्स उस को बगैर गारन्टी के दिया जाये और उस जमीन या इण्डस्ट्री को वह कारपोरेशन अपने पास मोर्टगेज कर ले। अगर इस तरह से फाइनेंस कारपोरेशन की व्यवस्था की जाये तो इस से उनको इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर में इस्टैब्लिश होने में मदद मिल सकती है।

अब तक तीन पंचवर्षीय योजनायें चलीं, इनमें कई बड़े बड़े फाइनेन्स कारपोरेशन बने, लेकिन उन से टाटा और बिरला या बड़े-बड़े पूंजीपतियों को फायदा हुआ, लेकिन हरिजनों को कोई फायदा नहीं हुआ। आज जो प्लान प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं, उनसे भी हरिजनों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको फायदा तब ही हो सकता है, जब उन के लिये अलग से फाइनेंस कारपोरेशन सैट-अप की जाये और उस के अन्दर आप चाहें तो उन के लिए 10 हज़ार या 20 हज़ार रुपये की बगैर-गारन्टी की लिमिट रख सकते हैं। आज जितने भी कोटे या परमिट्स दिये जाते हैं, चाहे स्टेनलेस स्टील का हो या किसी दूसरी चीज का हो, सब पूंजीपति ले जाते हैं, बोगस-यूजर्ज ले जाते हैं, हरिजन को कुछ नहीं मिलता। रोड-परमिट्स भी हरिजनों को नहीं मिलते—मैं चाहता हूँ कि इन सब में हरिजनों के लिये परसेंटेज फिक्स की जाये।

आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया—मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन किसी भी हरिजन को बैंक नेशनलाइजेशन से एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। मेरा सुझाव है कि आप बैंकों के प्रोसीजर को, उनके रूल्ज और रैग्यूलेशन्ज़ को इस तरह का बनायें कि अगर कोई हरिजन जो पोस्ट ग्रेजुएट हो या एग्रीकल्चरिस्ट हो, वह अगर बैंक के पास जाय तो उसे बगैर गारन्टी के रुपया मिल सके। जिस तरफ से आपने टेकनीकल ग्रेजुएट्स के लिये प्रोसीजर रखा है कि वह अपनी डिग्री या डिप्लोमे को दिखला कर बैंक से 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकता है, उसी तरह का प्रोसीजर आप हरिजनों के लिए बनायें, हमारे लिये ज्यादा न सही, 20-25 हजार रुपये तक का प्रोवीज़न कर दीजिये ताकि वह भी अपनी डिग्री या डिप्लोमे को दिखला कर लोन ले सके।

जहां तक हाउसिंग प्राबलम का सम्बन्ध है, इसके बारे में भी मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। देहातों में रोटी का ही मसला नहीं है, रोटी की जगह एक दिन साग खाकर या भूखा रहकर भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन रात को बरसात में या जाड़ों में जिन्दगी कैसे गुजरे। 80 फीसदी हरिजनों के पास मकान नहीं हैं और देहातों में तो 90 फीसदी हरिजन ऐसे हैं जिनके पास रहने के काबिल मकान नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो फाइनेन्स कारपोरेशन बने, उसके फाइनेन्स का कुछ परसेन्टेज हाउसिंग के लिए रखा जाय जो हरिजनों को सब्सिडी की शक्ल में दिया जाय, जिससे वह अपना मकान बना सके।

अब मैं दिल्ली की भी एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली मास्टर प्लान के अण्डर वर्क कर रही है, यहां पर हरिजनों को, जो स्लम्ज में रहते हैं, हजारों सालों से रहते चले जा रहे हैं, जिनकी संख्या ढाई-तीन लाख के लगभग है, इस सुन्दर शहर से निकाल कर दूर-दूर फेंका जा रहा है। जहां उनको 5 गज के प्लाट पर बसाया जा रहा है—यह पुराने जमाने का समाजवाद है या इस जमाने का समाजवाद है? मेरा सुझाव है कि एक परिवार को कम से कम 70 गज का प्लाट दिया जाये, जिसकी व्यवस्था पहले मास्टर प्लान में थी। इस समय 25 गज का प्लाट उनको दे दिया जाता है, लेकिन मकान बनाने की कोई सुविधा उनको नहीं दी जाती है, जिससे वहां भी स्लम्ज बन गये हैं, उनको लेबर भी नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मास्टर प्लान को इस दृष्टि से अमेंड कीजिए।...

एक माननीय सदस्य : यह जनसंघ कर रहा है। यह सब डी० डी० ए० के अण्डर है।

श्री राम चरण : नहीं ; यह कांग्रेस का किया हुआ है। डी० डी० ए० वर्क्स-हाउसिंग मिनिस्टर के जुरिस्डिक्शन के अण्डर आता है। बड़े-बड़े शहरों के अन्दर भी—जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हैं—स्लम्ज क्रियेट होते जा रहे हैं। वहां पर हरिजन मजदूरों को, वीकर सैक्शन के लोगों को मकान नहीं मिलते और अगर मिलते हैं तो वे उनके किराये बरदास्त नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं उनको मकान चीप रेट पर, चीप रेन्ट पर और चीप कोस्ट पर दिये जाय।

जहां तक एजूकेशन का सवाल है, मैं आपके सामने एम्पलायमेंट एक्सचेंज के आंकड़े पेश करता हूं। 1968-69 में एम्पलायमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर में 3 लाख 46 हजार 409 शैडयूल्ड कास्ट के और 61050 शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग रजिस्टर्ड हुए, जो बेरोजगार हैं। ये तो वे लोग हैं जो आपके एक्सचेंज में आकर रजिस्टर हुए, लेकिन देहातों में इससे भी कहीं ज्यादा तादाद में लोग बेकार हैं। मैं चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्ट या शैडयूल्ड ट्राइब्स के जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रैजुएट जब तक अनएम्पलायेड रहें, उनको अनएम्पलायमेंट स्टाइपण्ड दिया जाये। ऐसा क्यों? मैं इसकी वजह बतलाता हूं—शैडयूल्ड कास्ट का कैन्डीडेट बजीफा लेकर बी० ए० या एम० ए० करता है, उसके बाद जब वह देहात में जाता है और उसको काम न मिले तो उसकी सब पढ़ाई लिखाई वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको जब तक नौकरी न मिले उसको अनएम्पलायमेंट रुटाइपेण्ड दिया जाय।

यहां एक बात स्कालरशिप की भी कह दूं—स्कालरशिप का जो रेट है, वह बहुत कम है। 1947-48 में जब मैं पढ़ता था, उस वक्त जो स्कालरशिप मिलता था, वही आज मिल रहा है, आज मंहगाई बहुत बढ़ चुकी है, जिसमें उसका गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए रेट आफ स्कालरशिप को कम से कम डबल कर दिया जाये।

जहां तक एम्पलायमेंट की बात है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्ज बड़े डिफेक्टिव हैं। जब भी कोई

[श्री राम चरण]

जगह निकलती है तो उसकी सूचना सेन्ट्रल एम्पलायमेंट एक्सचेंज के आफिस को, जो दिल्ली में है, दी जाती है। लेकिन यहां के अधिकारी जान-बूझकर उसको नेग्लैक्ट करते हैं और अवेलेबिल्टी का सर्टीफिकेट दे देते हैं। इस तरह से हजारों सीटें भरने से रह जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके अन्दर जांच करायें कि कितनी सीटें रिजर्व्ड से डीरिजर्व्ड हुई हैं। उसमें एक निर्देशक अधिकारी ऐसा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता जो इस तरह की बदमाशी और मक्कारी करता है, रिक्वीजीशन आती है कैन्डीडेट्स होते हैं, लेकिन रिफ्यूज कर देता है, अवेलेबिल नहीं है। यू० पी० एस० सी० तो इस मामले में और ज्यादा ओब्सटैकल है। वहां सेक्रेटरी को तीन साल का एक्सटेन्शन क्यों दिया गया ? इसलिए दिया गया कि वह एन्टी-शैडयूल्ड कास्ट है। कम्पीटिटव एक्जामिनेशन्ज को छोड़ दीजिये, उसमें थोड़े बहुत मुकाबले में आ जाते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट सिलैक्शन होता है, उसमें 1 परसेन्ट भी नहीं आते। इसका कारण क्या है ? उसमें जो मेम्बर्ज होते हैं वे एन्टी-शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स होते हैं, आज वहां कोई भी हैड-आफ-दी-डिपार्टमेंट शैडयूल्ड कास्ट का नहीं है, इसलिये उनको नहीं चुना जाता है, उसी डिपार्टमेंट के लोग उसमें चुन लिये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि डिपार्टमेंटल कैन्डीडेट जो भी यू० पी० एस० सी० के ग्रु आये, उसमें शैडयूल्ड कास्ट की सीट शैडयूल्ड कास्ट के कैन्डीडेट से ही भरी जाये। हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्टरी ले एक लिया जो आफिसर, आइ० ए० एस० या पी० सी० एस०, शैडयूल्ड कास्ट का रखा जाये। उसका फंक्शन यह हो कि वह इस तरह के एप्वाइन्टमेंट को लुक आफटर करे।

दिल्ली एडमिनेस्ट्रेशन के अण्डर इस वक्त 4 हजार टीचर्स हैं, जिनमें से शैडयूल्ड कास्ट के सिर्फ 100 हैं—यह कितने दुख की बात है। इस संख्या को बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये।

जहां तक पोलीटिकल एक्सप्लायटेशन का ताल्लुक है—हमारे यहां शैडयूल्ड कास्ट के मिनिस्टर तो मिल जाते हैं, लेकिन गवर्नर, प्रेसिडेन्ट, वाइस प्रेसिडेन्ट. एम्बेसेडर या प्रधान मन्त्री कोई नहीं मिलता। हमारे बाबू जगजीवन राम पहले फूल एण्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनका प्रमोशन हुआ तो डिफेन्स में चले गये और वह भी उनको आधा दिया गया—इस तरह से पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन होता है। बजाय इसके कि उनको होम मिनिस्टरी दी जाती, फूल-फ्लेज्ड होम मिनिस्टर बनाया जाता, इस तरह से उनको हाफ-हार्टेड कर के लंगड़ा कर देते हैं—यह चीज बन्द होनी चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स का क्लाश 1 और 2 का कोटा पूरा क्यों नहीं होता। मैं चाहता हूं कि स्टाफ का टोटल स्ट्रेन्थ को लेकर परसेन्टेज फिक्स की जाये और उनके कोटे को पूरा किया जाये। पब्लिक अण्डर टेकिंग्ज के अन्दर भी कोटा पूरा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसके लिये भी सरकार स्पेशल स्टेप्स उठाये और उन अधिकारियों के खिलाफ एन्क्वायरी कराये जो इनको पूरा नहीं होने देते और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और पेरूमल रिपोर्ट्स या अनुसूचित जातियों के कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन्स हैं उनको वाच करने के लिए एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सेट-अप किया जाना चाहिए जो कि इस बात को देखे कि कितनी रिकमेंडेशन्स इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट होती हैं। यह आपके द्वारा सरकार से मेरी प्रार्थना है।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जिस तरह

से आपने रेफ्यूजीज के लिए एक फुलफ्लेज्ड मिनिस्ट्री बनाकर रखी है उसी प्रकार से शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और दूसरे वीकर सेक्शन की प्राबलम्स को देखने के लिए भी सरकार को चाहिए कि एक बिल्कुल सेप्रेट फुलफ्लेज्ड मिनिस्ट्री सेटअप करे।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं सुझाव दिये जाते हैं लेकिन उन सुझावों पर क्या सेक्शन होता है, क्या अमल होता है, उसकी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है—यह बड़े आश्चर्य की बात है।

सबसे पहले मैं भूमि सम्बन्धी एक सुझाव देना चाहता हूँ। राजस्थान के अन्दर राजस्थान नहर से लगभग 50 लाख एकड़ जमीन की सिचाइ होगी। उस राजस्थान क्षेत्र में भूमिहीन हरिजन आदिवासियों ने लगभग 40 हजार प्रार्थना पत्र भूमि प्राप्त करने के लिए दिये हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जमीन उनको मिलेगी लेकिन उनके पास उसकी पहली किस्त देने के लिए भी पैसा नहीं होगा। किसी साहूकार या बनिये से वह कर्जा लेगे तो बाद में उसे वह जमीन उसी के पास गिरवी रखनी पड़ेगी। ऐसी स्थित में मैं समाज कल्याण मन्त्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली किस्त अदा करने के लिए प्रति परिवार वह 15 सौ रुपये दे दें। 15 सौ रुपया प्रति परिवार के हिसाब से 40 हजार परिवारों को देने के लिए केवल 6 करोड़ की आवश्यकता होगी। अगर आप सही माने में समाजवाद लाना चाहते हैं और वास्तव में हरिजनोत्थान करना चाहते हैं तो आप मेरे इस सुझाव को स्वीकार करके उसे अमल में लाइये। इसके अलावा आप प्रति परिवार 15 सौ रुपया हल बैल और ऊंट गाड़ी के लिए दें। यह भी करीब 6 करोड़ रुपया ही होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 12 करोड़ रुपये आप 40 हजार परिवार और एक परिवार में यदि पांच सदस्य मान लिये जायें तो दो लाख हरिजनों का कल्याण कर सकते हैं। आप मेरे इस सुझाव को मानकर अवश्य उस पर अमल करें। क्योंकि आपने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया है यहां से उनको ऋण प्राप्त करने में कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है उसका विवरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम वह बेचारा तहसीलदार का प्रमाण-पत्र पेश करे कि उसके उपर कोई रकम बकाया नहीं है। उसके बाद में जमीन की जमाबन्दी की नकल को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित कराये। उसके बाद में पटवारी द्वारा जमीन का नकशा तहसीलदार से प्रमाणित कराकर पेश करे। फिर विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र दे कि उसके ऊपर पंचायत समिति का कोई ऋण नहीं है। उसके बाद सहकारी बैंक और भूमि प्रबंधक बैंक का सर्टिफिकेट दे कि उस पर कोई ऋण शेष नहीं है। फिर उसके बाद नलकूप का एस्टीमेट दे जो कि कि कोई लाइसेन्सशुदा आदमी के द्वारा होना चाहिए। इतना सब करने के बाद जबकि वह तपा हुआ सोना गिरवी रखता है उसके बाद भी उससे कहा जाता है कि किसी बड़े जमीदार या साहूकार की जमानत दो, तभी तुम्हें ऋण मिल सकेगा। यह समझने की बात है कि इतने आदमियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में ही एक अनपढ़ हरिजन को कितने धक्के खाने पड़ेंगे और वह किस तरह से वह प्राप्त कर सकता है? उनको प्राप्त करने में ही उसको कम से कम 5-6 सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन फिर भी यह नाकामियाब रहता है ऋण को प्राप्त करने में।

अब हरिजनों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए तथा स्कूल में प्रवेश शुल्क माफ कराने के लिए जो बाधा आती है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके लिए

[श्री प० ला० बारूपाल]

उसको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देना होता है। बीस साल में मैं इस पार्लियामेंट का मेम्बर हूं और मै प्रतिवर्ष 5-6 हजार प्रमाण-पत्र छपवा करके उनको देता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मास्टरों और सरकार की अक्ल में यह बात क्यों नहीं आती कि प्रारम्भ से लेकर मैट्रिक तक वह छात्र उसी स्कूल में पढ़ता है फिर क्या हर दूसरे वर्ष उसकी जाति बदल दी जाती है? यह तो एक मोटी अक्ल की बात है। मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को एक सर्कुलर भेजे कि एक बार शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट देने के बाद फिर उसको दोबारा सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता न रहे। इसके लिए वे हरिजन बेचारे एम० एल० ए०, एम० पी०, कौंसिलर न मालूम किस-किस के पास भटकते फिरते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस सुझाव को अवश्य माना जाये।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है उसका प्रारसीजर बहुत ही गन्दा और भद्दा है। संविधान में किसी भी व्यक्ति को हीन भावना अथवा ऊंच-नीच की दृष्टि से नहीं देखा गया है—सभी को समान अधिकार दिये गये हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अस्पताल हो, रेलवे हो या म्युनिसिपैलिटी हो वहां पर भंगियों का काम करने के लिए चाहे दो हजार जगहें हों उन पर भंगी ही रखे जायगे। मेरा कहना है कि हर नौकरी में रिजर्वेशन की समान पद्धति होनी चाहिए। जब अन्य नौकरियों में वे साढ़े 12 प्रतिशत से अधिक नहीं लिए जा सकते हैं तो भंगियों की जगहों पर भी उनको साढे 12 प्रतिशत ही रखा जाये और बाकी दूसरे जातियों के लोगों को रखा जाये। यह कोई तर्क नहीं है कि काम करने के लिए केवल भंगी ही रखा जायेगा।

मैं पूछना चाहता हूँ कि 22 साल की आजादी के बाद भी आपने उनका कितना उत्थान किया है? कौन सा समाजवाद आया है? जो गरीब चकार जूते बनाते थे उनके काम को बाटा कम्पनी ने ले लिया है। इमारती लकड़ी और फरनीचर का काम जो बेचारे बढ़ई करते थे उस काम को टाटा ने ले लिया है। अब कुर्सी लोहे की, मेज लोहे की और आलमारी भी लोहे की बनती है। कपड़ा बुनने का काम जिसको कि बुनकर करते थे उसको बिड़ला तथा पावरलूम के ठेकेदारों ने ले लिया है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का काम बावा तथा बंगाल पाटरी ने ले लिया है। इंट भट्टे (इंट थोपने वाले) श्रमिकों का काम डालमिया ने ले लिया है क्योंकि अब ईंटों के स्थान पर सीमेंट और लोहे से निर्माण होता है। गांव में कलाल जो गुण तथा महुए से कच्ची शराब बनाते थे उस काम को मोहन मिकिन्ज जैसी कम्पनियों ने ले लिया है। गरीब धोबियों के धंधे को स्नोव्हाइट और राक्सी आदि ड्राई क्लीनर्स ने ले लिया है। गांवों से शहर तक माल ढोने का जो काम ऊंट और गाड़ी वाले करते थे उसको ट्रक वालों ने ले लिया है। गांवों में सरकंडों से मूढ़े, कुर्सी आदि बनाने का जो काम था उसको गोदरेज ने ले लिया है। पत्थर का काम करने वाले जो लोग थे उनके काम को सीमेंट की ढलाई करने वालों ने ले लिया है। अब सड़कों पर किलोमीटर के निशान सीमेंट से बनाकर लगाये जाते है। सीमेंट का जो काम होता है उसमें सारी बालू लगा दी जाती है। इस तरह से हर तरफ करप्शन फैला हुआ है।

जहां तक बेकारी की समस्या का सवाल है मेरे पास रोज आधी दर्जन चिट्ठियां आती हैं—जो बेचारे मैट्रिक, बी० ए० और एम० ए० पास हैं उनको चपरासी की जगह भी नहीं मिलती है। मेरे पास सैकड़ों चिट्ठियां मौजूद हैं, आप कहें तो मैं उनको सभा पटल पर रख सकता हूं। यह जो समस्या है वह केवल हरिजनों की ही समस्या नहीं है बल्कि सारे राष्ट्र की समस्या है। पंडित जी कहा करते थे कि

शरीर का कोई भी अंग कमजोर हो तो सारा शरीर ही निकम्मा हो जाता है। इसी प्रकार से मानव जाति में कोई भी आदमी या कोई भी समुदाय कमजोर है तो उससे सारा राष्ट्र कमजोर हो जाता है। हरिजनों की समस्या इस देश की की समस्या है। मेरा निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर अमल होना चाहिए। यदि आप वास्तव में इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं और गरीब-अमीर के बीच की विषमता को मिटाना चाहते हैं तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसके पास एक से अधिक मकान, उद्योग, व्यापार, काश्त की भूमि, किसी प्रकार के फलों आदि के फार्म, लाइसेन्स तथा दूकान हो। जिनके पास अनेक उद्योगधंधे हैं, दूसरे व्यापार हैं तथा साथ ही कृषि या अन्य प्रकार के फार्म की भूमि है, उन सब में से केवल एक ही को वह अपने पास रखने का अधिकारी हो। शेष उद्योग धंधे, व्यापार काश्त या फार्म की भूमि या मकान आवश्यकतानुसार जिनको उनकी आवश्यकता है और जो वास्तव में उनको प्राप्त करने के पात्र हैं उनके अन्दर वितरण किया जाये। इसकी पूर्ति के लिए एक कानून बनना चाहिए। जब भी किसी बात का नाम लिया जाता है तब कह दिया जाता है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, हम तो कर नहीं सकते। मेरा निवेदन है कि आखिर यह स्टेट सब्जेक्ट क्या चीज है। सेन्टर में गवर्नमेंट है जो, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि यह हमारी एक बात सुन ले। यह स्वतन्त्र पार्टी और सिंडिकेट उसका साथ देने वाले नहीं हैं। अगर हरिजन और आदिवासी उसका साथ न दें तो यहां कांग्रेसी गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है। उसने हरिजनों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान करने का आश्वासन दिया था, अब वह ईमानदारी से उस आश्वासन को पूरा करे।

मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सारी बात कही जाती हैं वह पूरी क्यों नहीं होतीं? लोग कहते हैं कि धरती बंटी नहीं। धरती क्या बंटे? यहां पर राजे, महाराजे और करोड़पति बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े फार्म्स के मालिक बैठे हुए हैं। जो एम० एल० एज० हैं उनके पास लाखों एकड़ जमीन है। अगर चीफ मिनिस्टर उनकी जमीनें छीनते हैं तो एम० एल० एज० से उनको वोट नहीं मिलता। चीफ मिनिस्टर समझते हैं कि अगर एम० एल० एज० को नाराज करेंगे तो उनकी कुर्सी ढह जायेगी। सारी बीमारी यहां है कि वह कुर्सी का मोह नहीं छोड़ते। अगर सही माने में समाजवाद लाना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे यहां की जनसंघ की सरकार हो, सबको लालच है कुर्सी का। इसलिए हरिजनों का उत्थान नहीं होता है। हमारे राजस्थान में सुखाड़िया साहब 1954 में भूमि सुधार कानून लाये। लेकिन धीरे-धीरे करते हुए उसके करीब सोलह साल हो गये हैं। वह इसलिए अमल में नहीं आ पाया कि सारे एम० एल० ए० जमीदार हैं। अगर सुखाड़िया साहब उनकी जमीन छीनते हैं तो उनकी कुर्सी जाती है दो मिनट में। सब बातों में बीमारी यही है।

श्री कोलाई बिरुआ (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा का मामला है, वह बहुत ही दयनीय है और उनको प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है वह वास्तव में छात्रों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है, क्योंकि सबकी आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सके। जो छात्रवृत्ति मिलती है, जहां तक मेरा अनुभव है वह किसी वर्ग में दो या तीन छात्रों को मिलती है इसलिए छात्रवृत्ति का जो भी अनुपात है वह बहुत कम है। हरिजनों को शिक्षा प्राप्ति का पूरा अवसर नहीं मिल रहा है।

[श्री कोलाई विरुआ]

साथ ही साथ हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों और स्कूल भवनों की भी कमी है। अधिकतर स्कूलों में बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं। जब हम उनके लिए उच्च वर्गों में भरती के अधिकार की मांग करते हैं तब कहा जाता है कि 45 परसेंट से ऊपर मार्क्स पाने वाले की क्लास में भरती होगी। जब कहीं नौकरी के लिए मांग निकलती है तब अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 60 परसेन्ट मार्क्स होने चाहिएं। अब हमारे जो बच्चे पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं, जो बरसात में पढ़ नहीं पाते हैं क्या आप उनसे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वे उच्च वर्गों में और नौकरियों में अपेक्षित नम्बर ला सकेंगे?

हमारे यहां तो नहीं लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है उड़ीसा में आश्रम स्कूल हैं। जहां अधिकतर लोग मजदूर हैं और बचपन से मजदूरी का काम करते हैं, हल जोतते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उन्हें आश्रम स्कूलों में भी हल जोतना सिखाया जाय। इन लोगों को किताबी विद्या का अभ्यास करने का अवसर कम मिलता है। जहां तक बुनियादी शिक्षा का मामला है, हमारे यहां बुनियादी स्कूल हैं। हमारे गांव में एक एल० पी० स्कूल है। वहां यह होता है कि टिफिन के पहले जितना विद्या का अभ्यास हो गया वह हो गया, लेकिन टिफिन के बाद वह नहीं होता है। उसके बाद बच्चों को सिर्फ मिट्टी खोदना सिखलाया जाता है। मिट्टी खोदना तो हमारा अपना काम है, जिसे हम अपने खेतों में सीखते हैं वह हमको स्कूल में क्यों सिखलाया जाये?

दूसरी ओर यह हम देखते हैं कि इस हाउस के बहुत से मेम्बरों के और बड़े लोगों के बच्चे 75 रु० महीना फीस दे कर पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे केवल पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। उनको विद्या अभ्यास का और कोई उचित अवसर नहीं मिलता है। ऐसी हालत में उनको मिट्टी खोदना क्यों सिखाया जाये। यह शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है और इसमें सुधार होना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार अल्प भाषा-भाषी लोगों के लिये उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन हमारे बिहार, बंगाल और उड़ीसा से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है। किसी भी प्राथमिक स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होती है, और न तो शिक्षकों को इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्राप्त हुआ है। मैं पूछता हूं कि क्या वहां के लोग वैसी ही भाषा बोलते हैं जैसी भाषा हम यहां बोलते हैं? इसलिये प्राथमिक स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई का काम होना चाहिये। बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी से पुस्तकों के नाम पारित हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन को स्कूलों में लागू नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? इस को जल्दी से जल्दी स्कूलों में लागू करना चाहिये क्योंकि हम चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चों की अपनी भाषा में हो और उन को यह सुविधा अवश्य मिले। जो पांच साल का बच्चा है, जो अपनी मातृ भाषा को ठीक नहीं समझ पाता है वह दूसरी भाषा में पढ़ने के लिये बाध्य किया जायेगा तो बहुत मुश्किल हो जायेगी।

जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है, उस की स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, मैं जानता हूं कि वह वर्ण भेद से निकले हैं, लेकिन जब व्यावहारिक रूप में हम देखते हैं तो उन की दशा बहुत खराब है। नाइट स्वायल को फिकवाने का काम आज भी बाल्टियों में होता है। इस सिस्टम को बन्द करना चाहिये। बाल्टी का सिस्टम इतने दिनों से चला आ रहा है। उस को बदल कर अब फ्लश सिस्टम करना चाहिये। हम देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने कहा था कि आप

अपने काम सब कुछ साफ कीजिये। लेकिन विशेष वर्ग से सफाई करवाने का काम चलता जा रहा है। हम चाहते हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म हो। बहुत सी बातें हम लोग कहते हैं, लेकिन उस को व्यावहारिक रूप देने के लिये हम कोई कोशिश नहीं करते हैं। एक दिन मैंने साउथ ऐवेन्यू के मन्दिर में देखा कि एक बूढ़ा सिर पर सूखी लकड़ी ले कर और अपनी कांख में एक पोटली दबाये हुए था। वह बाहर से ही भगवान का नाम ले कर चला गया। भगवान के दरवाजे तक जाने के लिये साफ हो कर जाना पड़ता है। जिसके लिए उसे समय नहीं मिलता, अगर सुबह से शाम तक वह ड्यूटी देता है और उस में आप उस से मल फिकवाने का काम करें तो कैसे होगा? इसलिये यह सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है।

जहां तक सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन तो होना है लेकिन उस में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है उस को जांचने का जो माप दण्ड रखा है उस के लिये सिर्फ दूसरे लोग ही रहते हैं। वह लोग यह कभी नहीं सोचते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी हमारे भाई हैं। मैं आप को इस का ज्वलंत उदाहरण दे सकता हूँ। बहुत सी जगहों में रिजर्वेशन है, लेकिन कह दिया जाता है कि सूटेबल केन्डिडेट नहीं हैं, और मामला खत्म हो जाता है। दूसरे भाई आ जायेंगे और डिरिजर्वेशन हो जायेगा। इस तरह से डिरिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। अगर एक बार रिजर्वेशन हो चुका है और सूटेबल कैन्डिडेट नहीं मिलता तो उस को आगे के लिये रहने देना चाहिये। दूसरी बार सूटेबल कैन्डिडेट आ ही जायेगा। जो ऐडवर्टाइज मेंट होते हैं वह एक या दो समाचारपत्रों में होते हैं। ऐसी स्थिति में कैसे लोगों को मालूम होगा कि फलानी जगह वेकेन्सी है। सर्विस कमिशन्स आदि में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग होने चाहिये ताकि वह देखें कि जो जगहें उन के लिये हैं वह अनिवार्यतः उन को मिल सकें। अगर इस तरह से काम नहीं होगा तो मेरे खयाल से वे लोग कभी भी आगे नहीं आ पायेंगे। आज देश को स्वतन्त्र हुए बीस साल हो चुके हैं लेकिन अगर आज इन दोनों वर्गों के लोगों को हम विद्वान नहीं बना सके, जज नहीं बना सके तब वह किसी भी रूप में आगे नहीं जा सकते और यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात होगी।

आर०पी०एफ० में जो लोग लिये जाते हैं उन की उंचाई नापी जाती है। मुझ को खबर मिली है कि हमारे यहां के लोगों की उंचाई कम होती जा रही है। नतीजा यह होता है कि नापने से उन की उंचाई 5.4 फीट नहीं होती है। इसलिये अपेक्षित उंचाई में कमी होनी चाहिये। कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिये कि अपेक्षित ऊंचाई 5 फीट कर दी जाये। चक्रधरपुर में आदिवासियों से कहा गया कि आप नाप कर अभ्यर्थी दे दीजिये क्योंकि सरकारी नियम है कि 5.4 फीट ऊंचाई होना चाहिये। नाप कर देखा तो किसी की भी उतनी ऊंचाई नहीं थी। इसलिए अपेक्षित उंचाई कम कर दी जानी चाहिये। रिजर्वेशन के मामले में जो रूल बने हुए हैं, उनकी लोग जानबूझ कर अवहेलना करते हैं। एक श्री एस० पी० चौधरी ईस्ट बंगाल से आए हुए अनुसूचित जनजाति रिफ्यूजी हैं। वे गोल्डन टोबैको कम्पनी, बम्बई सब-सरकल के सैंट्रल एक्साइज के सब-इंस्पैक्टर हैं। उन्होंने जमीन के लिए बहुत से रिप्रिजेंटेशन दिये हैं ताकि वे मकान बना सकें। महाराष्ट्र सरकार ने भी उन्हें बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है। उनको बहुत दबा कर रखा जा रहा है। इस तरह की हालत अगर होगी तो बहुत मुश्किल होगा। वह पोलिटिकल सफरर भी हैं। उनकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा।

छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट

[श्री कोलाई विरुआ]

की अवहेलना करके जमीन को हड़प कर लिया गया है। दूसरे लोग उसको हथियाए बैठे हैं। रजिस्ट्रेशन करके या किसी और तरह से बहानेबाजी करके उस पर उन्होंने दखल कर लिया है। ऐसी जमीनों को वापिस किया जाएगा, ऐसा कानून बनाया गया है। लेकिन अब तक वह कानून लागू नहीं हुआ है। अब तक एक इंच भूमि भी किसी को वापिस नहीं दी गई है। एक तरफ तो कहा जाता है कि कानून की नजरों में सब लोग बराबर हैं लेकिन देखने में आता है कि सब को बराबर समझा नहीं जाता है। मेरी प्रार्थना है कि जहां कहीं कोई भी कानून पास किया गया है, उसका कम से कम ठीक तरह से इम्प्लेमेंटेशन तो होना चाहिये। इम्प्लेमेंटेशन होता हुआ बहुत कम देखा गया है। सुविधायें तो बहुत सी कानूनों में दी गई हैं लेकिन इम्प्लेमेंटेशन नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि कोई भी सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। इन लोगों की जो आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति हो, यह देखना बहुत आवश्यक है। यही हमारा ध्येय भी होना चाहिये।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की जो सिफारिशें हैं उन में से कई सिफारिशें ऐसी होती हैं जिन पर अमल स्टेट गवर्नमेंट्स को करना होता है। माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। आम तौर पर शिकायत की जाती है कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए या समाजिक विकास के लिए अस्पृश्यता निवारण के लिए जो पैसा देती है और जो स्कीम्ज तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजती है, उन पर कोई कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा नहीं की जाती है। इस बारे में मेरा सुझाव है। श्री गोविन्द मेनन को हम लोगों ने यह प्रार्थना की थी कि इन लोगों के विकास की जो गति है और विकास का जो कार्यक्रम चालू है, उसको देखने के लिए संसदीय समिति मैम्बर्ज आफ पार्लियामेंट की नियुक्त की जाए। उन्होंने इस प्रार्थना को मान लिया था और एक समिति गठित कर दी गई है। लेकिन उसके साथ ही एक अन्य सुझाव भी हमने दिया था। हमने कहा था कि जो स्कीम्ज हैं उन को कार्यान्वित करने का जो काम है वह स्टेट्स के हाथ में है और वहां जो एम०एल०एज० होते हैं शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज के उनकी एक डिवेलेपमेंट कमेटी अलग-अलग स्टेट में कायम होनी चाहिये। आयुक्त ने उनकी स्टेट्स के बारे में क्या स्पेसेफिक सिफारिशें दी हैं, इसका उन्हें पता नहीं होता है। इस वास्ते वहां भी एक समिति होनी चाहिये। उन्होंने इसके बारे में आश्वासन दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट की जाएगी। मेरा निवेदन है कि ऐसी एक कमेटी नियुक्त करने के बारे में हर स्टेट में हमारे मिनिस्टर साहब कोशिश करें।

मैंने अभी कहा है कि आयुक्त की जो सिफारिशें होती हैं उनको कार्यान्वित करने का काफी काम होता है। मुख्य जो काम है वह देहातों में ही करने के लिए होता है या जहां ये लोग रहते हैं, वहां ही करने के लिए होता है। यह काम पंचायत समितियों, जिला परिषदों और वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स की मार्फत होता है। इसलिए दूसरा सुझाव यह है कि आयुक्त की जो रिपोर्ट होती है, संविधान के अनुसार उस पर यहां चर्चा होती है लेकिन स्टेट असैम्बलीज में इसके लिए मौका नहीं दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि संविधान में संशोधन किया जाए और कामन जो रिकोमेंडेशंज हैं जो सब के लिए लागू होती हैं, सब स्टेट्स पर लागू होती हैं वे वहां भी डिसकस हों, इसका प्राविजन किया जाए स्टेट के बारे में अगर सिफारिश दी गई हो तो वहां

पर उस असैम्बली में भी चर्चा करने का प्राविजन होना चाहिये ।

यह भी देखने में आया है कि ऐसे मामले जोकि पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनको स्टेट्स ने हथिया लिया है । आप देखें कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज आर्डर जो है, उस में इनक्लयूशन करने का किसी को भी सिवाय पार्लियामेंट के अधिकार नहीं है । हमने देखा है कि कई स्टेट्ज में नई जातियों को सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली उनको लिखा भी कि आपका काम नहीं है, आपको संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता और आपके यहां उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता । कई ऐसे मामले भी होते हैं जोकि जो पालिसी है उसके खिलाफ जाते हैं । कल भंडारे जी ने फोर प्वाइंट प्रोग्राम का जिक्र किया । उन्होंने कहा कि जो बस्तियां इनकी होनी चाहियें वे हार्ट आफ दी विल्लेज में होनी चाहियें वहां उनको बसाया जाना चाहिये । लेकिन स्टेट हाउसिंग बोर्ड या कोओपरेटिव हाउसिंग बोर्ड जो हैं उन्होंने ऐसे नियम बना रखे हैं कि इनके लिए जगहें सुरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं । महाराष्ट्र का मेरे पास उदाहरण है । मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनाई जाने वाली बस्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए मकानों का कोई प्रतिशत आ रक्षित नहीं किया जाएगा । यह वहां नियम बना हुआ है । इस पर पुनर्विचार होना चाहिये । गवर्नमेंट की यह साफ पालिसी है कि जहां गवर्नमेंट का पैसा दिया जाएगा, जहां जिन कामों में गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, वहां स्थान इनके लिए सुरक्षित रखे जायेंगे । यह जो चीज महाराष्ट्र में इम्प्लेमेंट नहीं की जा रही है, इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । इस वास्ते मेरा यह सुझाव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के बारे में स्टेट्स में कहां तक प्रगति हुई है, कहां तक इन जातियों की उन्नति हुई है, इसकी जांच करने के लिए हर एक राज्य में एक अनुभाग स्थापित किया जाए ।

बेकारी की भी चर्चा यहां आई है । इन लोगों में यह समस्या गम्भीर रूप में व्याप्त है । अगर इसको सुलझाने के लिए ज्यादा टालमटोल की गई तो यह बड़ा खतरे से खाली नहीं होगी । आर्थिक वार्ता से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज की बेकारी की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है । मैट्रिक और नान-मैट्रिक बेकार व्यक्तियों की वार्षिक औसत वृद्धि दर जो 1961-62 के दौरान 12 प्रतिशत थी 1966-67 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई । सबसे ज्यादा खतरनाक और गम्भीर समस्या उन लोगों की है जो खेतीहर मजदूर हैं और जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं । वे समाज के बहुत ही दुर्बल अंग हैं । अभाव, अकाल और सूखे की स्थिति में उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है । क्या वजह है कि मैट्रिक पास और नान-मैट्रिक भी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी बेकार मारे मारे फिरते हैं जबकि इनके लिए रिजर्वेशन सर्विसिस में है और वह पूरा नहीं किया गया है ? यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन और स्टेट्स में भी पब्लिक सर्विस कमिशन आपने बना रखे है । आप यह भी कहते हैं कि सर्विसिस में इनके लिए रिजर्वेशन है । यह ठीक बात है कि रिजर्वेशन है । आप देखें कि एक लड़के की माता मजदूरी करके पैसा कमा कर अपने बच्चे को पढ़ाती है, अपना पेट काट कर उसको पढ़ाती है । अगर अब पढ़ने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी देने के बारे में आपने जो नियम बना रखे हैं उनको आपको देखना पड़ेगा । जिला परिषदों के अन्तर्गत नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट का काम डिविजनल सिलेक्शन बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है । महाराष्ट्र जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट में भी इन दोनों बोर्डों में शिड्यूल्ड कास्ट्स

[श्री देवराव पाटिल]

और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इसके अलावा इन बोर्डों के द्वारा इन लोगों का सिलेक्शन गुणवत्ता के नाम पर किया जाता है। मेरा कहना यह है कि नौकरियां देते समय केवल मेरिट देखने से काम नहीं चलेगा। नौकरी देने का मतलब है उदर-निर्वाह का साधन उपलब्ध करना। यह देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार सामने आते हैं, उनकी फैमिली में उदर-निर्वाह का कोई साधन है या नहीं। जिस फैमिली के पास जमीन या उदर-निर्वाह का कोई और साधन नहीं है, उस को नौकरी देने के सम्बन्ध में प्रायर्टी देनी चाहिए। जब तक नौकरियां देने के सम्बन्ध में पात्रर्टी-कम-मेरिट का क्राइटेरियन नहीं रखा जायेगा, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अगर गुणवत्ता के नाम पर नौकरी देने की व्यवस्था इसी प्रकार चलती रही, तो बेकारों की संख्या में और वृद्धि हो जायेगी।

15.00 hrs.

आवास का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए आवास का निर्माण करना सरकार का दायित्व है। अभी माननीय सदस्य ने बताया है कि देश की जनसंख्या में इन लोगों की जनसंख्या 1/5 है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है? यह बताया गया है कि इन में से अधिकतर ऐसे लोग हैं, जो एक रुपया रोज पर जीवित रहते हैं, अर्थात् इन का रोज का खर्च एक रुपया है। मैं सरकार से और सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति एक रुपया रोज की कमाई करता है, वह अपना मकान कैसे तैयार कर सकता है। इसी लिए इस सदन में और कमिश्नर की रिपोर्टों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अगर सरकार इन लोगों को मकान नहीं दे सकती है, तो वह इन को मकान के लिए जगह देने का प्राविजन करे। इस बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है? मैं भारत का एक नागरिक हूं, यहां पर मेरा मकान है, मेरी जगह है, कम से कम इतना कहने का अधिकार तो इन लोगों को मिलना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रेजिडेंट साहब ने कहा है कि हर एक आदमी को, और विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट्स और आदिवासियों को, संविधान में मकान या रहने की जगह पाने का बुनियादी अधिकार दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन लोगों को हाउसिंग साइट्स देने के सम्बन्ध में क्या प्राविजन किया गया है।

30 जुलाई, 1970 को पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया है कि निम्नलिखित स्टेट्स ने भूमिहीन लोगों, और विशेषकर हरिजनों, को हाउस साइट्स देने के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है और उन्होंने इतने हाउस साइट्स एलाट किये हैं: आन्ध्र प्रदेश : 136, गुजरात : 766, केरल : 101 मैसूर : 500, वैस्ट बंगाल : 68।

मेरा सुझाव है कि कम से कम आवास और हाउसिंग साइट देने के बारे में एक सुनिश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए और एक डेट निर्धारित करनी चाहिए। पिछले कई सालों से जो स्थिति चली आ रही है वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है।

इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लैंडलैस लेबरर्ज के, जिन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज भी हैं, सैटलमेंट सम्बन्धी स्कीम दूसरी पंच-वर्षीय योजन से चली आ रही है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि चतुर्थ पंच-वर्षीय याजना में उस के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। सरकार के पास सब ताकत है। वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को लैंड देती है, लेकिन वे लोग तो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वे कैसे उस को कल्टीवेट करेंगे? सरकार का

इस सम्बन्ध में कोई स्कीम बना कर उनको इस के लिए पैसा देना पड़ेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री मेनन ने इन लोगों के विकास में बहुत रुचि दिखाई थी। आज जो मंत्री महोदय हैं, उनको भी इन लोगों से बहुत सहानुभूति है। उनका नाम हनुमन्तैया है। मैं उन को बताना चाहता हूं कि आज-कल का राम मन्दिर में नहीं है, बल्कि झौंपड़ी में है---झोंपड़ियों में जो दीन-दुखी लोग रहते हैं, वही राम हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि श्री हनुमन्तैया उन की सेवा करेंगे और उन को मदद देने की कृपा करेंगे।

श्री आत्म दास (मुरेना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने निर्दली सदस्यों में से मुझे भी कुछ समय दिया है।

इस रिपोर्ट पर कुछ दिनों से विचार हो रहा है। यह समस्या कोई नई नहीं है। केवल हरिजनों के कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए, स्वतन्त्रता के बाद से ही नहीं, बल्कि इस से सैकड़ों बरस पूर्व से हमारे सुधारवादी महानुभाव, नेता और संत समाज की दूषित वृत्तियों को समाप्त करने के लिये और मानवता को जिन्दा रखने के लिए प्रयत्न करते आये हैं। संवत 1400 से पूर्व जब हिन्दू जाति खतरे में थी, तो कबीर, गुरु नानकदेव और रविदास ने, एकनाथ ने और बाद में स्वामी दयानन्द ने, तथा दूसरे सन्त महात्माओं ने इस मानव समाज के उद्धार के लिए काम किया। किन्तु खेद है कि—जैसी कि कहावत है—मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की।

आज हमारा सब से पहला काम मानवता को, आदमी को जिन्दा रखना है। जब आदमी जिन्दा ही नहीं रहेगा, तो उस के कल्याण और उत्थान की बात करना निरर्थक है। आज हम देखते हैं कि हमारे भाइयों पर, और दूसरे लोगों पर भी, अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं और दिन-दहाड़े उनका कत्ले-आम हो रहा है। देश का मानव समाज कितने खतरे में है, यह किसी से छिपा नहीं है।

हमारे यहां, उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों में भी आज जो नर-संहार हो रहा है, उस के खिलाफ आवाज उठने पर पुलिस विभाग के महानुभावों ने एक वक्तव्य दे कर उन घटनाओं को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि इतने डाकू मार दिये गये हैं और इतने पकड़ लिये गये हैं। बताया जाता है कि हम ने चार पांच सौ डाकू खत्म कर दिये हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को मारा गया है, वे डाकू नहीं थे। अगर वे डाकू थे, तो क्या मारे जाने से पहले सूची में उन के नाम थे? मेरे क्षेत्र मुरेना में, अम्बा थाना, अमलीकापुर गांव में दस ठाकुर मारे गये, लेकिन सोलह वहां से फरार हो गये। इस के अलावा लश्कर के पास मौछ गांव, थाना पनिहार, जिला गिर्द ग्वालियर में बाईस तेईस विद्यार्थियों को पकड़ कर ले गये। स्कूल का स्कूल ले गए लेकिन वहां पर यह घटना क्यों हुई, इस अत्याचार की एक छोटी सी कहानी मैं आप के सामने प्रस्तुत करूं। वहां का जो पटवारी था उस ने इन गड़ेरियों की जमीन को कुछ समय से नाजायज तरीके से अपने परिवार के नाम इन्दराज कर रखा था। समय आने पर उस ने उसे दखल करवा कर के अपने परिवार के नाम करा लिया। जब उस की फरियाद करने के लिए वह कलेक्टरी में गया तो रास्ते में उसको इतना मारा कि वह बिलकुल बेजान हो गया और तब उसको वह छोड़ कर चले गए तब वह डाकू हो गया और उस ने उसका बदला लिया। लेकिन खेद इस बात

[श्री आत्म दास]

का है कि हमारा पुलिस विभाग जो है। जिसमें राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों का कमांड है, जिस दिन मौछ गांव में यह घटना हुई पुलिस साढे नौ बजे पहुँच गई थी मगर आप को ताज्जुब होगा कि जिन बच्चों को छोड़ा गया था, सारा दिन उन से पूछताछ करने में लगा दिया और इसी में सारा दिन गुजार दिया। रात को यह एलान कर दिया कि वह तो अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गए। तो मेरा निवेदन है कि इन्सानियत को कायम रखने की व्यवस्था सबसे प्रथम होनी चाहिए।

दूसरी बात—मैं पहले अपने सुझाव दे दूं। सदियों से पददलित कहे जाने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के जो प्रचीन धन्धे हैं और जो उन के घृणित काम हैं उन को समूल नष्ट किया जाय। उदाहरण के रूप में मैंने सुबह निवेदन किया था मंत्री महोदय से कि जो हरिजन जाति और आदिम जातियों की सूची है उसमें ऐसे नाम हैं कि जिन को देख कर मानवता भी शर्माएगी, उस में लिखा है—घंटी चोर, भेड़चोर आदि इस तरह के जो नाम हैं मेरी प्रार्थना है कि ऐसे नामों को समूल नष्ट किया जाय। दूसरी बात—हमारे सुधारवादी भाई कहते हैं कि इन को अपने पुराने धन्धे को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा कहना है कि उस के लिए हमारे सुधारवादी भाई एक आदर्श प्रस्तुत करें कि उन के जो यह हेय धन्धे हैं जिन से कि उन्हें नीच बना दिया गया है उन को वह अपनाएं और एक आदर्श प्रस्तुत करें तथा उस की जगह लाभदायक धन्धे उन को दिए जायं जिस से वह आगे बढ़ें। तीसरा मेरा कहना यह है कि जैसे अभी रिजर्वेशन के प्रश्न पर सब भाइयों ने उस के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है, मैं भी कहना चाहता हूँ कि उनके अनुपात को नौकरियों में पूरा किया जाय। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कहा जाता है कि इस का अलग विभाग हो, लेकिन हमारे यहां मन्त्री हैं इन के विभाग के, उन के विभाग में भी इन जातियों का अनुपात पूरा नहीं है। तो यह विचारणीय प्रश्न है। दूसरी ओर मेरा कहना यह है कि जब हमारे कुछ पढे लिखे भाई अधिकारी बन जाते हैं तो उन के लिए ऐसी मनोवृत्ति बरती जाती है कि उन को देहातों में भेज दिया जाता है। उनकी पदोन्नति करने के बजाय उन को इस तरह से परेशान किया जाता है जिस से कि वह नौकरी छोड़ कर भाग जायं। तो इस मनोवृत्ति के ऊपर कड़ाई से ध्यान दिया जाय और इस का उचित प्रबन्ध किया जाय।

आज हमारी जमीन की समस्या है। आज हमारे कुछ हितैषी भाई जमीन को दिलाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। उन की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इस से हमारे हरिजन और आदिवासियों को जमीन नहीं मिलने वाली है क्यों कि जिन जमीनों पर कब्जा हो रहा है उन पर से उनके, सरकार के कानून के द्वारा हटा दिया जाएगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूं क्यों कि अभी जो एलान हो रहे हैं उन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिये सीलिंग का जो हमारे भाइयों ने निवेदन किया है उस को सही रूप में अमल में लाया जाय। अमानुषिक अत्याचार और हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया और नौकरियों के विषय में कहा। हरिजन आदिवासी जो भाई हैं उन के लिए जो सब से बड़ी समस्या है वह है उन के रहने की। दूसरी ओर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए छात्रावास की समस्या है। तो छात्रवृत्ति और छात्रावास के लिए जो हमारे बन्धुओं ने सुझाव दिए हैं, उन पर अमल किया जाय। ऐसे तो हमारी कमीशन की रिपोर्ट ही बहुत उत्तम है, अगर

सही रूप में उसके ऊपर अमल किया जाता है तो बहुत कुछ हमारे समाज का इस से हित हो सकता है। क्यों कि समय नहीं है, इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की तीन रिपोर्टें और पेरूमल कमेटी की रिपोर्ट हमारे समक्ष है। उस पर तीन दिन से इस सदन में चर्चा चल रही है। यह एक इतना बड़ा प्रश्न है कि किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है। आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से हमारे जो बड़े बड़े नेता रहे हैं उन के दिमागों को यह प्रश्न परेशान करता रहा है और जब तक हम कोई इसका निदान और इलाज राष्ट्रीय प्रश्न समझ कर नहीं करेंगे तब तक इधर उधर छिटपुट थोड़ा सा कर देने से हमारे समाज का एक जो पांचवां अंग है उस की समस्या हल नहीं हो सकती। आज हमारे देश की आबादी 52 करोड़ के करीब है। एक पांचवें अंश उस आबादी के हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं। इतना बड़ा पूरे शरीर का एक अंग अपाहिज रहे साधनों की कमी से, निकम्मा रहे साधनों की कमी से, कुछ अकल की बात न करे शिक्षा न होने की वजह से, उसके अन्दर मानवता के गुणों का अभाव रहे जानकारी न होने की वजह से तो यह देश कभी तरक्की किया हुआ नहीं माना जा सकता है। अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं तो जो पिछड़े हुए लोग हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के, सब से पहले राष्ट्रीय पैमाने पर हमें उनकी तरक्की की बात करनी होगी। इसी सदन में दो तीन दिन की चर्चा के बीच में तुलसीदास जी की कुछ बातें भी कही गई। तुलसीदास जी को लोग संत कहते हैं। उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है, जन्म-दिवस भी मनाया जाता है। सन्त और भी हुए हैं। व्यक्ति जब सन्त की ऊंचाई पर पहुँच जाता है तो पूरे समाज का हो जाता है, किसी एक जाति का नहीं रहता। अगर तुलसीदास ने इस तरह की बातें कहीं जैसा कि रामायण की चौपाइयों में है तो हमारी तबियत तो नहीं कबूल करती कि हम उन्हें सन्त मानें। यह जो हमारे देश में वर्ण-व्यवस्था है आज से हजारों वर्ष पहले चलाई गई थी। एक परिवार के सदस्यों में वह काम का बंटवारा था। कोई पुश्तैनी तौर पर अलग-अलग नहीं किया गया था। उस के बाद वर्ण-व्यवस्था में जिन्हें कुछ ऊंचा स्थान मिला वह इस से अपना स्थिर स्वार्थ बना कर के हमेशा के लिए दूसरे लोगों को नीचे ले जाते रहे और सब से ज्यादा जो आज सामाजिक विषमताएं जातियों में मिलती हैं वह हमारे सनातन धर्म की वजह से मिलती हैं। अब उन की गरीबी को दूर कैसे किया जाय? इस सदन में भी काफी चर्चा हुई, जो जमीन बेकार पड़ी है—सरकार के पास जमीन है, गांव समाज के पास जमीन है—उसका बटवारा उन लोगों में किया जाय जो भूमिहीन हैं। इसी सिलसिले में नक्सलवादियों का जिक्र आता है। आज जिस तरह से सौ-सौ दो-दो सौ की टोली में लोग जमीनों पर जा कर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन वे वहां मुस्तकिल तौर पर तो नहीं रह सकेंगे, जिन की जमीन है, वे फिर कब्जा कर लेंगे—यह तो एक तरह का स्टंट है, तमाशा हो रहा है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के शासन की तरफ से गांव समाज के पास हिदायतें गई हैं कि उन के पास जितनी जमीन है, थोड़ा सा छोड़ कर बाकी जमीन भूमिहीनों में वितरित कर दी जाय—वहां पर इस तरह का काम हो रहा है।...

एक माननीय सदस्य : छोड़ कर क्यों?

श्री राजदेव सिंह : जो वहां की कानूनी व्यवस्था है, उस के अनुसार किया जा रहा है। मैं इस बात की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि वह गलत है या सही है, लेकिन जो चीज है उसे आप के सामने रख रहा हूं।

[श्री राजदेव सिंह]

देश में जो सामाजिक भेद-भाव है, उसे दूर करना बहुत जरूरी है। इन्सान इन्सान के बीच में भेद-भाव नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो मन्त्री होते हैं चाहे सेन्टर के हों या स्टेट के हों, जब वे किसी ऊंची से ऊंची जाति के दरवाजे पर जाते हैं तो वे अछूत नहीं माने जाते।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : माने जाते हैं। हमारे एक मेम्बर पार्लियामेंट को मध्य प्रदेश में एक होटल में चाय नहीं दी गई। श्री राम सिंह अयरवाल के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, यह पिछले साल का वाक्या है, जिस का मुकदमा चल रहा है।

श्री राजदेव सिंह : हमारे सामने भी एक घटना है। उत्तर प्रदेश के चौधरी गिरधारी लाल जी, जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, कांग्रेस की एक कान्फ्रेंस में एक गांव में गये। वह ठाकुरों का गांव था। गांव के ठाकुर हमारे पास आये और कहा कि मन्त्री महोदय को हमारे दरवाजे पर ले चलिये। उन के घर में जो भी सब से अच्छी चारपाई और बिछावन था, वह उन के लिये बिछाया गया, घर के बर्तनों में पानी दिया गया। कहां जाति को माना गया? जिस के पास औहदा होता है, पैसा होता है, वहां जाति नहीं मानी जाती। आज मंदिरों में प्रवेश की बात की जाती है—अगर आदमी साफ कपड़े पहन कर चला जाय, उसे कोई नहीं रोकता...

श्री प० ला० बारूपाल : शायद उन को मिनिस्टर से परमिट लेना होगा।

श्री राजदेव सिंह : लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर प्रवेश हरिजनों का पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के बाद ही प्रवेश अच्छा लगता है। पहले पेट भरने की बात होनी चाहिए। गरीब होने के कारण सब से पहले बीमारियां उसी के यहां आती हैं। अगर किसी मुहल्ले में कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले वही गरीब उस बीमारी का शिकार होता है। इसके अलावा आर्थिक शास्त्र का यह नियम है कि जहां गरीबी होती है, वहाँ आबादी भी तेजी से बढ़ती है, उन की आबादी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

हमारे कुछ मित्रों ने यहां जिक्र किया कि अन्तर्जातीय विवाह होना चाहिये—यह वास्तव में बहुत जरूरी है, इस से बायोलौजिकल एवोल्यूशन होगा। आज भी ऐसे विवाह होते हैं, हमारा कानून उस के खिलाफ नहीं है, लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की ओर से इस को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मन्दिरों में आजकल जो पुजारी रखे जाते हैं वे पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इस लिए सरकार को चाहिए कि वह भी समय के अनुरूप अपने को बदले तथा पढ़े-लिखे पुजारियों को रखा जाय, जिन की बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिये। जब वे रखे जांय तो उन में हर जाति के हों, किसी एक जाति का पुजारी न रखा जाए...

श्री प० ला० बारूपाल : मंदिरों में भंगी पुजारी होना चाहिए।

श्री राजदेव सिंह: जहां तक उनकी नौकरी का सवाल है यह ठीक है कि आबादी के अनुपात से उनका कोटा फिक्स है, लेकिन बहुत सी जगहों पर यह कहा जाता है कि उनके अन्दर काबिल उम्मीदवार नहीं है, जिससे उन का कोटा पूरा नहीं होता तथा दूसरी जाति के लोगों से उस कोटे को पूरा कर लिया जाता है। मेरा नम्र निवेदन है कि वह कोटा यदि किसी वजह से पूरा नहीं हो पाता तो उन जगहों को खाली रखा जाए और अगले साल उस कोटे को पूरा करने पर जोर दिया जाय। जहां तक दूसरी सर्विसिज का ताल्लुक है क्लास 3 और क्लास 4 में मैं चाहता हूं कि इन में

परसेन्टेज कम से कम 50 परसेन्ट रखा जाय ताकि इन लोगों को अधिक मौका मिल सके। दूसरी जाती के लोग तो अपने बच्चों को बहुत एक्सटेन्सिव एजूकेशन दे सकते हैं, उनको कम्पीटीशन में आने लायक बना सकते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यदि यह परसेन्टेज 50 रखी जाएगी, तो इससे उनको अधिक नौकरियां मिल सकेंगी, उनके घर में कुछ पैसा जायगा और उससे उनकी हालत अच्छी होगी।

बहुत से लोगों ने कहा कि राज्यपालों में हरिजन कोई नहीं है। हमारे कार्तिक आरांव साहब आदिवासी हैं, तीन लाइन में इनकी डिग्री है ये राज्यपाल की जगह पर अच्छी नौकरी कर सकते हैं। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसका ध्यान रखें और सरकार को सिफारिश करें कि आज बहुत से सदस्यों ने ऐसी मांग की है जो पूरी भी हो सकती है, क्योंकि हरिजनों में भी काबिल से काबिल लोग हैं।

हरिजनों की हालत को यदि सुधारना है तो इण्डियन पीनल कोड और सिविल कोड में भी आपको तबदीली करनी होगी। हमारे जिले की एक घटना है। हमारे जिले में मक्का बहुत पैदा होती है। हमारे यहां न्याय पंचायत ने फैसला किया कि जो आदमी जितने मक्का तोड़ेगा उस पर उतने रुपये जुर्माना होगा। एक हरिजन के लड़के ने मक्का के पांच भुट्टे तोड़ लिए, उस पर पांच रुपये जुर्माना कर दिया गया। उसके बाद चूंकि लड़का नाबालिग था, इसलिए उस के बाप को बुलाया गया, जुर्माना अदा करने के लिये। उस ने एक वाक्य कहा हमारी माली हालत, रुपये पैसे की हालत ऐसी होती कि हम पांच रुपये जुर्माना दे सकते तो शायद हमारा लड़का खेत में भुट्टे न तोड़ता। चोरियां जो होता हैं, गरीबी की वजह से होती हैं। अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है और किसी का दो हजार रुपया रखा है, अपनी जिन्दगी को बचाने के लिये वह उसमें से 20 रुपये की चोरी कर लेता है तो वह चोरी नहीं माननी चाहिये। उसने 20 रु० की चोरी करके अपनी जान बचाई है। इस दृष्टि से सिविल कोड और इण्डियन पीनल कोड में तबदीली की जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूँ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, 9 अगस्त से इस देश में एक क्रान्ति की लहर शुरू हुई है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अब भी सवेरा है, जागो। कुछ लोगों ने इस देश में 9 अगस्त से लैंडग्रेबिंग का आन्दोलन शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि सरकार हमारे उन लैंड-लैस लोगों के लिए, जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करे और जो कानून उनके लिये अब तक बनाये गये हैं उन पर अमल करें।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे लाइनों के आस-पास आज बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि उन जमीनों को हरिजनों को दे दिया जाय, जिस पर अनाज पैदा करके वे चौथाई गल्ला आपको दे सकते हैं। राजस्थान में राजस्थान नहर के पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी है, अगर जमीन उनको दे दी जाय तो उससे बहुत से हरिजन परिवारों का भला हो सकता है।

कहता बहुता मिला और गहता मिला
न कोय।

यह सरकार 20 साल से कुछ नहीं कर सकी। हम से कहा जाता है कि तुम इस पार से उस पार क्यों चले गये। प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ मजाक करती है।

Prime Minister Mrs. Indira Gandhi...if you are going as Governor of West Bengal... If a Prime Minister can cut a joke like this.

क्या भरोसा है इस गवर्नमेंट का। प्रेजीडेन्शल कैंडीडेट जगजीवन राम हुये, तो कह

[श्री शिव नारायण]

दिया कि मेरी गवर्नमेंट कैसे चलेगी क्या कहा जा सकता है इस सरकार का। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मेरे पास जो फैक्ट्स हैं वही कहूंगा None can deny.

मैं चाहता हूं कि मलकानी रिपोर्ट जो है, उस पर यह सरकार अमल करे। हमारे मेहतर भाई पाखाना सिर पर ले कर चलते हैं।

अगर आप ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो उसके लिये मलकानी रिपोर्ट आपके सामने है। मोलहू प्रसाद जी इस सदन में सबसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वह इतनी मेहनत करने के बाद यहां पर आये और आपको कंडेम किया। तीन रिपोर्टें आपके सामने हैं, अगर गवर्नमेंट में जरा भी शेम हो तो उनकी रिकमेंडेशन्स को फुलफिल करे। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करती है। हम सरकार से एक इंच भी बेशी नहीं मांगते हैं। सन 1971 में सेन्सस की रिपोर्ट तैयार होने जा रही है। भगवान के लिये इमानदारी के साथ जो भी आपने कांस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया है और जिसको आप भी मानते हो उसको फुलफिल करो। सेन्सस में जहां चमार हो, धोबी हो उसको सही सही हरिजन लिखवाओ तभी हम समझेंगे कि यह सरकार डिमोक्रेसी में विश्वास करती है। हमारे मित्र श्री एस० एम० बनर्जी ने जो कल कहा, मैं उनकी ताईद करता हूँ कि हमारी बिरादरी आपसे कोई भीख नहीं मांगती है। हम मेहनत करते हैं और लेबर करके खाते हैं और इसपर हम को घमण्ड है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आप हम को क्यों पीसते हैं जो कि अपने को ऊंची जाति का कहते हैं। हम मोहन जोदड़ों के टाइम से इस देश के निवासी है। मैं मद्रास के अपने डी०एम०के० के भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्राह्मण और नानब्राह्मण की आवाज उठा करके आप को ठीक कर दिया। मैं मद्रास गया हूं और एक हफ्ता वहां पर रहा हूं। हम इतिहास के तपे हुए सिपाही हैं। राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के मैदान में हमारे बाप दादों ने घास की रोटी खाई थी और तलवार खींची थी अकबर के मुकाबले में। श्री फखरुद्दीन साहब भी हमारे पूर्वी इलाके के लीडर हैं, इनसे भी हम ने कहा था कि आप हमारे लीडर हो। आज मैं इस पार आ गया हूं तो वे कहते हैं कि तुम क्वीट कर गये। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गया हुआ वक्त फिर कभी वापिस नहीं आता है। जब गाड़ी निकल गई फिर आप ढोल पीटते रहें। यह जो प्राब्लम है वह नेशनल प्राब्लम है आज मैं पं० पन्त को यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने अब्दुल हकीम साहब से कहा था : "Mr. Hakim, I am bound to talk to the Muslim League people."

वह 60 सीटों पर एलेक्ट हो कर आये थे।

In the same way, today, we will say this to Mrs. Indira Gandhi. If she and her Government are not going to help the Harijans, I can give the assurance that the Harijans are not going to vote for Mrs Gandhi's Government in the next general election. I will see to it that you will not come back to this Government and form a Government if you are not going to solve the problem.

बीस साल का टाइम आपको मिला लेकिन आप ने क्या किया ?...(व्यवधान) वर्गनमेंट बनेगी लेकिन दलालों की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। जो भारत माता के रक्षक होंगे उनकी गवर्नमेंट बनेगी। जो इस देश को बेचना चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी।... (व्यवधान) ..तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि एल० आई० सी० में जो आप का रुपया है उस से आप गरीबों के लिए मकान दीजिए। मैंने फारेन कन्ट्रीज में देखा है, वेस्ट इंडीज में लेबरर्स

के लिये मकानात बने हुये हैं। आप मकान बनवा दो और हमसे उसका पैसा ले लो। हम कमाकर आप का एक-एक पैसा अदा कर देंगे। हराम हम आपका एक पैसा भी नहीं चाहते हैं। कहा जाता है कि लोग पैसा खा जाते हैं, हम भी पैसा खा जाते हैं लेकिन सवाल है भूखा मरता क्या न करता। आपने लोन दिया और वह उसको खा गये और फिर उनके ऊपर कुरकी दर कुरकी चलती है। इसलिये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जमीन खरीद दे और मकान बनवा दे। आज गांवों में क्या हालत हो रही है? बंजर जमीन छूटी हुई है लेकिन वे अपना मकान नहीं बना सकते हैं। मैं अपनी बात बतलाता हूँ। मेरे घर के बगल में कुर्मी का मकान है। मेरा बच्चा वहां पर कम्पल में बैठ कर पेशाब भी नहीं कर सकता है।...(व्यवधान)...यू० पी० में चरण सिंह की सरकार की यह हालत है। चरण सिंह एक किसान है फिर वे किसानों की प्राब्लम्स को क्यों नहीं हल कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... आप कुर्सियों के लिए लड़ रहे हो। कभी यहां जूतियां साफ करते हो, कभी वहां साफ करते हो।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक लेटर है बड़े इंस्टीट्यूशन का उसका एक सेन्टेन्स आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। यह पैट्रियाट अखबार की कटिंग है :

"It was also proposed to have a separate list drawn up for scheduled caste and scheduled tribe candidates for promotion. They should be adjudged among themselves and not along with other officers and included in the promotion list.

यह बड़े इंस्टीट्यूशन की पोजीशन है। वहां पर एक भंगी को मार दिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं उसका एक सेन्टेन्स पढ़ना चाहता हूँ :

"Where is the security for this oppressed minority in the NCERT? If there is no security in the Government organisation where else it can be expected? I, therefore, request you to look into the matter personally and take proper action."

यह मेरे पास पूरा लेटर है। डा० राव बड़े भारी एजूकेशनिस्ट है, वह एजूकेशन मिनिस्टर हैं।...(व्यवधान)...मैं हिन्दुस्तानी हूँ, एक देश भक्त हूं। मैं यहां पर सच्ची बात कहना चाहता हूँ। जैसी आपकी करनी है उसको यहाँ पर बयान कर रहा हूं। भगवान की दया से दो पंडित इस विभाग में हैं। मैं भाई जगन्नाथ राव जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वे उड़ीसा से आते हैं जहां कि जगन्नाथ पुरी है। अगर वही नमूना वह पूरे देश में लागू कर देंगे तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जायेगा। मैं श्री हनुमन्तैया जी को भी जानता हूं। He was one of the youngest Chief Ministers of the country. I hope he will do something for the poor Harijans which will be remembered in the history of Parliament.

हमारा काम सेवा करना है। चतुवर्ण में हमारा काम सेवा करना था। अब नौकरियों में हमको सेवा ही तो करनी है। आप चमार का काम दूसरों को क्यों देते हो? आप हरिजनों को काम दीजिये, वह तुम्हारे लिये बन्दूक ले कर देश की रक्षा करेंगे, दफ्तर ठीक रखेंगे और रात में तुम्हारी चौकीदारी करेंगे। जितना भी जूते चमड़े का काम फैक्टरीज में हो रहा है वह हरिजनों को मिलना चाहिये। लेकिन होता यह है कि जब चमड़ा गन्दा हो तब तो उसको चमार साफ करें लेकिन उसके बाद फैक्टरी में श्री हनुमन्तैया साहब का भतीजा मनेजर बना हुआ बैठा है।...(व्यवधान)... गांधी जी ने सन् 1942 में कहा था करो या मरो। आप को चाहिये कि हरिजन प्राब्लम को नेशनल प्राब्लम समझकर साल्व करें। मैं आज यहां पर अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ कि ऋषि दयानन्द के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूं। उन्होंने हरिजनोत्थान का काम किया

[श्री शिव नारायण]

था। आज फिर देश खतरे में है। लेकिन यह सरकार निकम्मी है। इसलिये मैं सचेत करना चाहता हूँ कि जो लैंड ग्रैब मूवमेंट चल रहा है यह लैंड भी ग्रैब करेंगे और तुम्हारा धन भी ग्रैब करेंगे। एक मित्र ने हमको एक नोट लिखाया कि अगस्त के महीने में क्या नकशा खिलने वाला है। मैंने उसको अपनी डायरी में रख छोड़ा है।...(व्यवधान)...तुम्हारी भविष्य वाणी सितम्बर में होने वाली है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल गालियां देने से सुखी नहीं रख सकते हो। हम बड़ी हिम्मत कर आपको छोड़ कर इस पार आये हैं।...(व्यवधान)... इन शब्दों के साथ मैं इस हरिजन प्राब्लम को गवर्नमेन्ट के सामने रखता हूँ। Do it honestly and properly. Otherwise you know your own business. God will help those who stand on their own feet.

हम खड़े हैं, हम कमजोर नहीं हैं। हमारे लड़के आज खड़े हो गये हैं। आज हम कामयाबी की तरफ हैं, जवाल की तरफ नहीं हैं। इस लिये मैं गवर्नमेंट को सचेत करना चाहता हूँ और श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब से कहना चाहता हूँ कि वह इस देश की रक्षा करें और इन हरिजनों की प्राब्लेम को हल करायें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः सरकार से प्रार्थना करता हूं और श्री हनुमन्तैया और श्री जगन्नाथ राव से कहता हूं कि हम उनकी कम इज्जत नहीं करते, हम चाहते हैं कि वह हमारी प्राब्लेम को हल करें।

SHRI SIDDAYYA (Chamarajanagar): Sir, this is the first time that we are called upon to discuss four reports simultaneously during the last twenty years. In 1957, 1963 and 1967 two reports were discussed together, but this time three annual reports of the Commissioner and one special report called Elayaperumal Committee Report are being discussed. This is also the first time that we are discussing these reports of the Commissioner without the Action Taken Report being laid on the Table of the House. There is a convention that before the annual report of the Commissioner is being discussed, the Action Taken Report of the previous year must be laid on the Table in order to facilitate the members to discuss it in a purposeful and fruitful manner. The latest Action Taken Report is for the years 1965-66 which must have been presented along with the Report for 1966-67. Along with the other two annual reports, namely, the reports for 1967-68 and 1968-69 no Action Taken Report has been presented. In order to show that there is such a convention, I would like to quote the answer given by the then Minister to my Unstarred Question No. 647 dated 16-11-1965 wherein he has admitted that there is such a convention. So, I would request the Minister to bring a new motion, a separate motion for the discussion of the report for the years 1967-68 and 1968-69. Coming to the Elayaperumal Committee Report, before we take it up I would like to point out that last time also when Shri Asoka Mehta was the Minister this point was raised and he admitted that there is some error in it and he promised to present the report of the Commissioner every year during the budget session and the Action Taken Report in the month of November every year. But that has not been done so far.

Then, I would like to mention another important point. Even the form of the motion given notice of by the Minister is quite different from the usual form. In the past the form used to be "This House takes into consideration the Report" This time the motion is "this House takes note of.." There is quite a lot of difference between "nothing" and "considering." This error should be corrected

In 1967, when this point was made the then Minister, Shri Asoka Mehta, agreed to make the necessary changes in future. Yet, that promise has been given the go-by.

Coming to the Elayaperumal Committee Report, I had the privilege to be a member of the Committee. This Committee was set up by the Government on a resolution passed by the Central Social Welfare Board in the year 1965. The need to have such a Committee was appreciated by the Central Social Welfare Board and it was accepted.

In the Constitution article 339 provides

for the appointment of a Commission after ten years from the commencement of the Constitution to study the problem of Scheduled Tribes but these was no such provision in the case of the Scheduled Castes. Therefore it was decided to have this Committee. The report of this Committee is on a par with the Dhebar Commission's report on Scheduled Tribes. It is a very important report and I do not know why the Government has tried to have a discussion on this important report along with the annual reports of the Commissioner.

This Committee has made several recommendations. One of the recommendations that has already been referred to by hon. Members, who spoke earlier, is regarding the abolution of the caste system in the country. This is a very fundamental question. May be, there are orhers, who are getting the privileges under the caste system, who are not worried about the caste system but those who suffer under the stigma of untouchability, naturally, found out that the root cause of untouchability is in the caste system. So long as the caste system continues in this country untouchability can never be removed. That we have realised.

I think, everybody will agree with me that castes are anti-social, anti-democratic and anti-national. Knowing fully well that it is so, the Government has not taken any action so far to abolish the caste system and make India safe for democracy. I am asking for the abolition of the caste system not for the removal of untouchability only but if India is to have a democracy and if India wants to establish nationalism in this country, I think it is very necessary and fundamental that the caste system should be abolished once and for all lock, stock and barrel.

Therefore, the Committee has recommended that there should be a Social Policy Resolution adopted by Parliament so that the entire structure of Hindu Society is reorganised. We have already got the Industrial Policy Resolution so for as industries are concerned ; we have got the Scientific Policy Resolution so far as scientific advancement of this country is concerned, but there is no social policy resolution so far.

There are so many recommendations but I have no time perhaps to refer to all of them. But let me refer to some of them. The second important point which the Committee has made is about the reorganisation of the office of the Commissioner. This is a very fundamental problem. Sir, you were a member of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and you know that the first report which has been submitted by this Committee is on the Re-organisation of the Office of the Commissioner. Till 1967 there were 17 regional officers in various parts of the country under the control of the Commissioner. Those officers stand abolished. That only shows how the mind of the Government is working. The Commissioner, who was able to safeguard the interests, rights and other things of 25 per cent of the population of the country, that is the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by the abolition of these officers has been completely weekened To the extent the Commissioner is weakened. I feel, the entire community is weakened. It has been done, as the Committee has found out, in a circuitous way. To abolish these 17 regional officers they have not adopted the direct method of bringing it up before the whole Cabinet or taking the opinion of the Finance Ministry, but they have done it by themselves of course by mislea ing the Minister who was there at that time.

Therefore, I would urge upon the Government to consider this aspect of the matter and see that all those 17 regional officers are restored. Otherwise, I will go to the extent of even telling the Minister that we Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 114 Members here, are prepared to make any sacrifice to see that those officers are restored.

The third point that I want to bring to the notice of the House is that this Committee has recommended some amendment to the Untouchability Offences Act, 1955. There, they have recommended that the Boards at the taluk level should be constituted so that before a case actually goes before the court, these semi-judicial bodies may also consider the case.

The fourth recommendation that is also very important, is about the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people on the Selection Boards. Today, we find so many graduates, double graduates, engineering and medical graduates, are all rejected on the ground that they are not

[Shri Siddayya]

suitable. Who is going to decide whether one is suitable or not ? It is the non-Scheduled Castes officers who are sitting in the Selection Boards who decide it. Therefore, the Committee has recommended that there should be at least a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes man on each Selection Board. Unless that is done, it will be very difficult for our candidates to get themselves selected. So far as the State Governments are concerned, it may be difficult for the Minister to accept it but so far as the Central Government is concerned, he can take it up and see that representation is given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes people on the Selection Boards, the U P.S.C., the Railway Service Commission and such other Selection Committees.

The Welfare Department, I consider, is the guardian of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. But the way in which the Department has been functioning all these years has not done any good to them. The Elayaperumal Committee has made some remarks with regard to the attitude of the Department

It says :

> "The attitude of the Department concerned has been all along one of indifference and non co-operation. We very much regret to place on record that even though the Committee was set up by the Department of Social Welfare, there was practically very little co-operation from the Department as already pointed out. The indifference and non-co-operative attitude of that Department gradually developed into a state of active hostility even."

The Chairman of the Committee wrote to the Prime Minister about it. I do not know what action has been taken so far. As a matter of fact, to get the Parliamentary Committee appointed, all the Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes had to struggle very much with the Minister, Shri Asoka Mehta, because the Department had misled him and, ultimately, he had to accept the appointment of this Committee I say, it goes to the credit of the Members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes that they were successful in getting this Committee appointed.

I am extremely happy that Mr. Hanumanthaiya has become the Minister-in-charge of this Department. He is a very able administrator and he has got a lot of sympathy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. When he was the Chief Minister of Mysore, he had done a lot. As the Chairman of the Administrative Reforms Commission, he suggested so many reforms with regard to so many Departments of the Government.

But I do not know, Sir, why the Department of Social Welfare escaped his notice and scrutiny. Now he has become the Minister-in-charge of it. I hope and trust that he will look into this matter and reform the Department in such a way that it becomes a very effective instrument for implementing the recommendations made by the Commissioner and other bodies.

It is generally said that most of the recommendations made by the Commissioner are to be implemented by the State Governments, So far as the Scheduled Castes are concerned, I can agree But so far as the Scheduled Tribes are concerned I don't think Government can take up that position, because under Art 339(2) of the Constitution there is a provision which reads like this :

> "The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to a State as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State."

I want to know from the Minister since 1950 how many directions have been issued to the State Government under Art. 339 (2) of the Constitution.

Mr. Hanumanthaiya, as I have already said, is a very able man and he has got a lot of sympathy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I want him to get only a few small things done within the course of one year. They are small from his point of view but very big from our point of view. (1) The reports of the Commissioner are not being discussed by all the States. But only some States were discussing it. Afterwards they gave it up. Now Mr. Hanumanthaiya may call a meeting of the Chief Ministers and tell them that this report so far as it relates to the States concerned,

should be discussed every year. I think he will be able to do it. (2) We are having a Parliamentary Committee on Scheduled Castes and Scheduled Tribes here at the Centre and Mr. Govinda Menon wrote a D.O. letter to all the Chief Ministers requesting them to have a similar committee at the State level. I understand some States have agreed. For example, UP, Rajasthan and Manipur have agreed to have a committee. Mysore was the first State to have the Committee and it is functioning for about one year. I want Mr. Hanumanthaiya to contact the Chief Ministers to see that such legislature committees are appointed in each State as early as possible.

Regarding the re-organisation of the office of the Department of Social Welfare, there are very able officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who can man this organization but except one or two there are no Scheduled Castes or Scheduled Tribes officers. I plead with the Minister to bring officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the Social Welfare Department. I understand that the post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is vacant. I think it will go to the credit of Mr. Hanumanthaiya if he makes up his mind to see that a Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidate is appointed as Commissioner.

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu): At the very outset I must be thankful to you and my colleague Shri Kolai Birua who has only taken 7 minutes of the time allotted to our Parliamentary Group. All my friends have so far spoken on the serious plight of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. All I say is that I endorse their view. I shall not speak more on this point except to say that bellies have no ears. Those people who have empty bellies cannot listen to what we speak here. They need food. They need houses, they need hospitals and they need everything so that they can grow up in our society.

16.00 hrs.

[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

Sir, I would like to give two concrete suggestions. I would like to offer my suggestions in this regard. The first is this In India, we have 40 million sheep and we produce about 75 million pounds of wool. We import about 15 million pounds of wool from Australia. Sheep breeding and shearing of wool is the hereditary vocation of the Scheduled Tribes people. I understand that some caste Hindus are now trying to establish sheep breeding farms particularly in Gujarat and Rajasthan in collaboration with the State Governments I object to this, I think, Sir, that this business should definitely be reserved for the Scheduled Tribes people. Why should the son of a businessman should be sent to Australia or Newzealand for sheep breeding training ? It is these Scheduled Tribes who are the real people doing these things who should be sent to Australia for necessary training in sheep breeding, catering and shearing. Their educated children may be sent to Australia because Australia and Newzealand are the biggest wool-producing countries in the world.

In Australia they get 8 pounds of wool per sheep, whereas what we produce is only $1\frac{1}{2}$ pounds of wool per sheep That is one of my concrete suggestions, that this industry should be reserved for the shepherds and for the Scheduled Tribes people.

My second suggestion is this. Whenever the Government of India decides to establish a fellow-mongering industry which is connected with sheep, it should also be reserved for the Scheduled Tribes. This fellow-mongering industry is connected with sheep-breeding.

Sir, the percentage has to be fixed in both the private sector and public sector for the employment of these people in future. That is the position today ? They are human beings like us.

One of my friends was asking me, what have Birlas done about it. Here I would like to say something I have got only 5 minutes which is given to me and so I do not want to tell this in great detail. But, for the information of the August House and for the information of my hon. friend I would like to say this. 45 years back, in my own village, Pilani, I was the first person to ask these Harijan ladies to walk in the streets with ornaments, because, they were not allowed to walk in the streets. Besides, I was the first man in my village to go to their houses and have meals with them and we helped the Harijans to draw water from the same wells from which Caste

[Shri Siddayya]

Hindus were drawing the water. The result was that I was treated as an outcaste. That is a personal thing and I don't want to say much on this.

But the question is : What is it that the Government has done to educate these people ? What is it that the Government has done to secure employment for these people ? Therefore, it is my plea that a percentage should be fixed for these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people both in the public and private sectors.

सभापति महोदय : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया है कि मिनिस्टर साहब को साढ़े चार बजे कल किया जाएगा और पांच बजे यह डिसकशन खत्म हो जायेगा । इस लिए मेम्बर साहबान थोड़ा-थोड़ा टाइम लें ।

SHRI R. K. BIRLA : I will only take the time allotted to me ; not a single second more.

Sir, in Rajasthan, from where I come, everybody knows in this House that the level of the water is very deep. The Harijans do not have water to drink. Some may carry on without meals, but without water nobody can carry on. If one does not take sufficient quantity of water, I am sure he will develop some kidney trouble. What is it that the Government has done for providing drinking water to the Harijans ? Nothing much has been done. Therefore I would suggest that whatever be the amount that the Centre is giving to the respective States, that particular part of the amount should be reserved for this purpose, namely, digging the wells for the Harijans so that their drinking water is assured.

I know something of my constituency. I know this that the law provides that they can draw water from the wells from where the caste Hindus draw the water.

But what is the use of the law when it is not practised ? We simply talk here. That is the reason why I say that they do not require lip sympathy but they require something substantial so that they could be just like us.

I shall tell you something about my constituency. In Chhani village, which is a Harijan village in Badra in Ganganagar, two years back. I had mentioned on the floor of the House, some Harijans were assaulted and the supply of water to them was stopped. I had represented to the Central and State Governments, but the result was a double zero, and no action was taken. Why ? After all, they are not animals, but they are human beings like us.

So many friends have said that when Shri Hanumanthaiya was the Chief Minister of Mysore, he did this or that. But let us see what he does when he has taken charge of this Ministry.

श्री शम्भूनाथ (सैदपुर) : सभापति महोदय, जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूं, तब से मैं यह देख रहा हूं कि जब-जब इस तरह की रिपोर्ट पर बहस होती है, तो हाउस के दोनों तरफ से एक ही तरह की बातें कही जाती हैं । इससे पहले जो मिनिस्टर साहबान रहे है, उन्होंने भी हमेशा एक ही तरह की बातें कही हैं । आज भी हम उसी तरह की बातें सुन रहे हैं ।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत बड़े सोशलिस्ट विचारक, श्री अशोक मेहता, के सामने—जब वह इस विभाग के मन्त्री थे—हम लोग अपनी बातें कहते थे, तो वह अपनी तरफ से कोई आरिजिनल बात न कहकर अपने अफसरों द्वारा बताई गई बात पर ही स्टिक करते थे । मेनन साहब ने इस सम्बन्ध में थोड़ी सी रुचि दिखाई, हम लोगों की बातें मानीं और उन्होंने हरिजनों तथा आदिवासियों की प्राबलम्ज़ और मुसीबतों को समझने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई । लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि आखिर यह अरण्य-रोदन कब तक चलेगा ।

मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि जब कभी भी मैं यह रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ, तो एक दो पेज पढ़ने के बाद उसके आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती है । मुझे यह देखकर

दुख होता है कि बाइस साल हो गये, लेकिन इन मुसीबतों को दूर करने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं कभी-कभी सो नहीं पाता हूं। लोग कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब हरिजनों के बड़े शुभचिन्तक हैं। मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने कमिश्नर की रिपोर्ट को ठीक तरह से पढ़ा होगा और अगर वह चाहते होंगे कि उस रिपोर्ट में जो बातें दी गई हैं, उनके बारे में कुछ करना है, तो शायद उनको भी नींद नहीं आयेगी। अगर वह कुछ करना चाहेंगे, तो उनको बहुत बेचैनी होगी।

सर्विस में हरिजनों और आदिवासियों की सूटेबिलिटी के बारे में सन्देह प्रकट किया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन से ऐसे लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। मेरा पहला चार्ज यह है कि जो लोग कहते हैं कि हरिजन सूटेबल नहीं हैं, वे खुद सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बेईमानी है, वे नहीं चाहते कि शेडयूल्ड कास्ट्स के लोग अच्छी जगहों पर आ सकें। अगर उनका दृष्टिकोण सही होता, तो वे सोचते कि ये लोग हजारों बरसों से डाउनट्राडन हैं, इसलिए अगर उनमें कोई कमी भी है, तब भी वे सूटेबल हैं। हां, अगर हरिजन अनसूटेबल हैं, तो इस बात में कि वे किसी का शोषण या एक्सप्लायटेशन नहीं कर सकते हैं और वे चोरी के बल पर बहुत बड़े पूंजीपति नहीं हो सकते हैं। किसी का खून नहीं चूस सकते, वहां अनसूटेबल हैं अगर यह कहें तो हमारी समझ में आता है। लेकिन यह लोग काम मेहनत करके करते हैं, जो जिम्मेदारी इनको दी जाती है वह उस जिम्मेदारी को पूर्णतया निभाने की कोशिश करते हैं। जहां कहीं भी देखा जाय इनको अनसूटेबल कहा जाता है यह शर्म की बात है। साथ ही अभी कहा गया कि हरिजनों को भी पूजारी बनने का मौका दिया जाय। मन्दिर का पुजारी होने का मौका दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : मौका नहीं, किसी की मोनोपली नहीं होनी चाहिए।

श्री शम्भू नाथ : अच्छी बात है। लेकिन हमारा तो यह कहना है कि आप अपना मंदिर अपने घर में रखे रहिए। हमको रोजी रोटी दे दीजिये, हमको मन्दिरों से कोई मतलब नहीं है। जिस भगवान को हरिजनों के छूने से पाप लगता हो, ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता।

सर्विसेज में सूटेबिलिटी का आलम यह है, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ—चिराग तले अंधेरा है। यहां सेन्टर के सेक्रेटेरिएट में किस तरह से ज्यादती की जा रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सेक्शन आफीसर्स की सर्विसेज के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं। 61 से पहले 100 परसेंट में 25 परसेंट डिपार्टमेंटल 50 परसेंट आई० ए० एस० में से और 25 परसेंट प्रोमोशन आन सीनियारिटी बेसिस लिए जाते थे। उस समय रिजर्वेशन जो था 75 परसेन्ट था यानि 25 परसेन्ट डिपार्टमेंटल और 50 परसेन्ट आई० ए० एस०। 62 में इन्होंने देखा कि अब यह कुछ ज्यादा आ रहे हैं, तो कितनी चालाकी से उसे कम करते हैं, इधर सरकार कह रही है कि हम 15 परसेंट रिजर्वेशन कर रहे हैं लेकिन यह आई० ए० एस० आफिसर जो यहां बैठे हुए हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत क्या करते हैं कि 62 में इन्होंने रूल चेंज कर दिया। उसके मुताबिक यह कर दिया कि 100 परसेन्ट में 50 की जगह 25 परसेन्ट आई० ए० एस०, 25 परसेन्ट डिपार्टमेंटल, 25 परसेंटल पैनल से और 25 परसेन्ट सीनियारिटी से। यानी रिजर्वेशन सिर्फ 50 परसेन्ट रह गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 15 परसेंट दे रहे हैं तो इन्होंने एक चालाकी और की कि 1970 में फिर रूल चेंज किया और अब यह किया कि 100 परसेंट में 28 परसेंट सीनियारिटी से 28 परसेन्ट लेंग्थ आफ सर्विस से, 16 परसेंट आई० ए० एस० से, 14 परसेंट

[श्री शम्भू नाथ]

पैनल से और 14 परसेन्ट डिपार्टमेंटल। अब रिजर्वेशन रह गया 30 परसेंट। यानि 61 से पहले 75 परसेंट और 62 के बाद 50 परसेंट अब 70 के बाद 30 परसेंट। यह है इसका आलम। अब हम इस मिनिस्ट्री से क्या उम्मीद करें? यह मिनिस्ट्री लैटर बाक्स मिनिस्ट्री है। ईमानदारी की बात है, मैं ठीक कह रहा हूँ। हम यह पूछना चाहते हैं हनुमन्तैया जी से कि इनके पास क्या पावर है? अगर आज हम इनसे कहें कि होम मिनिस्ट्री फलां जी० ओ० का पालन नहीं कर रही है, फलां मिनिस्ट्री फलां जी० ओ० का पालन नहीं कर रही है, यह इनके ध्यान में लाएं तो यह क्या करेंगे? जैसे कि मैं एक डी० ओ० लिखता हूँ, सिवाय उसी तरह का रेकमेंडेशन करने के और आप कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार के द्वारा तथा कांस्टीट्यूशन के द्वारा हमको दिया गया है उसको भी हम कहें कि इम्प्लीमेंट कीजिये तो क्या होता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में हरिजन वेलफेयर आफिस खुला हुआ है। हमारे गरीब भाई आते हैं, उनसे अपनी मुसीबत कहते हैं, वह बेचारे क्या करते हैं?

लिख दिया किसी स्कूल में, किसी थानेदार के यहां लिख दिया, मगर सुनवाई नहीं होती। वही हालत इस मिनिस्ट्री की है। यह मिनिस्टर साहबान क्या कर सकते हैं क्योंकि इनकी बात सुनी नहीं जाती है। होम मिनिस्ट्री से जी० ओ० जाता है, और बातें होती हैं। मिलिट्री की सर्विस की बात आती है, जो आज देश के निकम्मे लोग हैं वह कहते हैं कि शेडयूल्ड कास्ट के लोग नान-मार्शल रेस के हैं। जो शोषण करना चाहते हैं वह कहते हैं कि शेडयूल्ड कास्ट के लोग नान-मार्शल रेस के हैं, इसलिए इनको मिलिटरी में नहीं लिया जायगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे बेईमान, ऐसे दगाबाज जो आज ऊंचे बैठे हुये हैं वह इस तरह की बात कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि यह 20 पर्सेन्ट जिस दिन रिवोल्ट करेगा हिन्दुस्तान का नक्शा बदल जायेगा और हिन्दुस्तान अपने सही तरीके पर आ जायेगा।

दो एक सलाहें हमारी हैं। हनुमन्तैया जी अगर इनको करा सकें तो मेरी दो तीन यह मांगें हैं, इनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हरिजनों की एकोनामिक हालत सुधरे तो हमको मुर्गी नहीं चाहिये, हमको सुअर नहीं चाहिये। अगर हमको देना है तो स्माल स्केल इंडस्ट्री दीजिये गांवों में जिससे हम तरक्की कर सकें। लैंड ग्रैब मूवमेंट जो चल रहा है, हमको बड़ा तरस आता है फार और अगेंस्ट बोलने का यह मौका नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने इन विरोधी भाइयों से भी कि यह जो मूवमेंट हरिजनों के दिमाग में चल रहा है कि हमको भूमि मिलनी चाहिए, यह मूवमेंट उनके दिमाग से खत्म हो गया तो आप इसके जिम्मेदार होंगे क्योंकि विनोबा भावे ने भी भूमिदान, ग्रामदान और कौन-कौन सा दान देने की बात करके इस लैंड मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की थी और उन्होंने खत्म किया है। मैं कहूँगा कि जो उन्होंने भूमिदान लिया है, उसके पहले दे दीजिये। आज आप लोग इस तरह की बात कर रहे हो, मूवमेंट दबा रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात यह है कि जो मिनिस्ट्री आफ सोशल वेलफेयर है उसको पावर दिया जाय कि जहां अत्याचार हो रहे हैं उसको वह मीट आउट करे, होम मिनिस्ट्री के ऊपर हावी हो सके, अपनी बात करा सके, तब तो इसके कुछ मानी हैं नहीं तो कुछ नहीं है। आज हरिजनों के साथ जुल्म हो रहा है, कचहरियों में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए कि पैसा नहीं है, वकील नहीं है और भी बातें हैं, तरदुद पड़ती है, इसलिए मैं कहूँगा कि हरिजनों को

फ्री जस्टिस कानूनी मदद दिलाने के लिए विचार किया जाना चाहिए ताकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका वह मुकाबिला कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यहां जो चर्चा चल रही है उसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यह चर्चा बहुत दिन पहले होनी चाहिए थी, काफी विलम्ब से हो रही है। उसका प्रमुख कारण सरकार ही है। सरकार स्वयं इस विषय पर चर्चा करने नहीं देती जिसके कारण यह चर्चा लेट हुई है।

इन रिपोर्टों के अन्दर बहुत सी बातें कही गई हैं। रिपोर्ट तैयार की है वास्तविक स्थित देखकर और उसमें क्या सुझाव हो सकता है, क्या होना चाहिए, उस आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। परन्तु रिपोर्ट आए काफी दिन हो गये और उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर अमल कितना होगा इसका तो भगवान ही मालिक है हम क्या कह सकते हैं कि कब और कितना अमल होगा? कमिश्नर की रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिए गए हैं सर्विसेज के सम्बन्ध में, उनको मैं यहां कोट करना चाहता हूँ। प्रथम श्रेणी की सर्विसेज के अन्दर 15 प्रतिशत लोग लेने थे, उसमें दो प्रतिशत लिया हरिजनों को। दूसरी श्रेणी के अन्दर 3 प्रतिशत या तीसरी श्रेणी के अन्दर 9 प्रतिशत यह लोग लिये गये जहां तक आदिम जाति के लोगों का सवाल है उसमें प्रथम श्रेणी में 5 लेने थे, उसके स्थान पर आधा लिया, एक तिहाई लिया और 1 प्रतिशत लिया। रुपये में बारह आने लिया तीसरी में। जहां तक उनके कर्जे की दशा है वह बहुत भयंकर है। देहातों के अन्दर हरिजनों के ऊपर 62 प्रतिशत कर्जा है। यह रिपोर्ट में जो कहा गया है उसी का उल्लेख मैं कर रहा हूँ, पेरूमल की कमेटी की रिपोर्ट का। 47 प्रतिशत कर्जा शहरी लोगों पर जो हरिजन जाति के लोग हैं उन पर है। इतने कर्जे से वह दबे हुए हैं, किस प्रकार से उठ सकते हैं? कैसे अपना विकास कर सकते हैं। इसका स्वयं वह अन्दाज लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, आज कई जगह पक्षपात किया जाता है। यह बात जरूर है कि कुछ अंक कम हों तो लड़कों को मेडिकल में दाखिले की रियायत दी गई है। इसी तरह और जगहों में इंजीनियरिंग के अन्दर भी कुछ रियायत दी गई है। मेरा कहना यह है कि यह जो अंकों में छूट दी गई है यह बहुत कम है उन्हें और छूट दी जानी चाहिये। इसका एक कारण है कि लड़का पढ़ने में आगे कब निकलता है जब उसके घर का वातावरण अच्छा हो, उसके खाने-पीने की सहूलियत अच्छी हो। जब यह सब सहूलियतें होंगी तो वह आगे निकलेगा। लेकिन यह हरिजन बच्चे अच्छे अंक नहीं ला सकते क्योंकि उनके घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, उनको उतनी सहूलियतें नहीं मिलतीं जिससे वह अधिक अंक नहीं ला पाते। नतीजा यह होता है कि जितनी सीटें सरकार ने रखी हैं वह सीटें खाली रहती हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सेना में इनको भर्ती करना चाहिये। इसका अनुभव करियप्पा साहब ने भी किया है। शायद लोगों ने इस बात की हवा फैलाई कि हरिजन सेवा में आ गये तो बड़े झगड़े होंगे और आपस में मनमुटाव होगा। तो उन्होंने अनुभव करके देखा और उनके अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार की परिस्थिति ऐसी पैदा नहीं हुई और बड़ी शान्ति से लोगों ने ठीक काम किया और अच्छी सेवाएं कीं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सैनिक स्कूल हैं उनमें इन हरिजनों के बच्चों के लिये कोई भी गुंजाइश आपने नहीं रखी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम उन हरिजन बच्चों को भी सैनिक स्कूलों में भर्ती करें। उनके लिए कोटा रखें तो मैं समझूंगा कि शायद आप चाहते हैं कि इन्हें सेना में लिया जाय और आप उत्सुक हैं सेना में उन्हें लेने के लिए।

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

मैं एक बात यह कहना चाहता था। यहां मेरी पार्टी की ओर से मेरे मित्र सूरज भान जी एक बिल मैं इस लोक सभा में लेकर आए। उसमें यह कहा गया है कि अनुपात के आधार पर हरिजन और इन लोगों को सीट का कोटा देना चाहिये, इनकी सीट रिजर्व करनी चाहिये, तो हवा ऐसी फैलाई जा रही है सामने की बेंच पर कि यह बिल जनसंघ का है इसलिये सपोर्ट नहीं करना चाहिये। मैं प्रार्थना करता हूं बड़ी नम्रता के साथ कि आप इस बात में बिलकुल मत आइये, यह जनसंघ पार्टी का बिल नहीं है। यह बिलकुल प्राइवेट मेम्बर का बिल है। और यहां पर प्राइवेट मेम्बर का बिल नाथ पैय जी का, अटल जी का और कुछ और लोगों के बिल पास हुये हैं और सरकारी बैंचों के सदस्य हिम्मत बांधें। मैं कहना चाहता हूँ कि यह उधर बैठे हुये उन लोगों के लिये परीक्षा की है जो अपने आपको हरिजन कहते हैं। देखना है कि लाल बटन दबता है या हरा बटन दबता है, यह 14 तारीख को देखा जायेगा।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता चाहता हूँ —आज यह कहा जाता है कि जमीन हरिजनों को मिलनी चाहिए—इस सदन में पिछले आठ सालों का मेरा अनुभव है, अनेकों बार इस सदन में रेलवे मिनिस्टर से सवाल पूछे गये कि रेलवे की पटरियों के साथ-साथ जो जमीन पड़ी है, क्या सरकार उन जमीनों को खेती के लिए हरिजनों को देने के लिए तैयार है? अनेकों बार इस सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन दिये गये, लेकिन आज तक उस सिलसिले में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। अब समय आ गया है, चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि जमीनों पर कब्जा करो, हमला बोलो, यह हवा आज देश में पैदा हो रही है, उसको दबाने के लिए क्या आपने आज तक कोई कानून बनाया, वह जमीन हरिजनों को क्यों नहीं दी जाती? मैं चाहता हूं कि रेलवे के आसपास जो जमीन पड़ी हुई है, उसको हरिजनों को दिया जाय ताकि उस पर भी उत्पादन हो सके।

अब मैं उनकी माली हालत की तरफ आता हूं। हरिजनों की माली हालत आज बहुत खराब है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ—देश के अन्दर आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, जो बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं, साल में 25 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपए तक कमाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बड़े लोगों पर एक स्पेशल टैक्स लगाया जाय और उस टैक्स से जो रकम प्राप्त हो, उसका उपयोग इन पिछड़े लोगों के विकास में किया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूँ—मध्य प्रदेश के अन्दर एक मिनिस्टर हैं, जो होम-मिनिस्ट्री के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर हैं, जो जाति के ब्राह्मण हैं और बीना से चुनकर आये हैं। उन्होंने हरिजनों को बहकाकर, फुसला कर उनकी सारी जमीन अपने नाम रजिस्टर करवा ली। उन्होंने उनको कहा कि इसके बदले में तुम को 20-20 बीघे जमीन दिलवायेंगे, इस तरह से अपना 200 एकड़ का प्लाट बना लिया, अब उनको अंगूठा दिखला दिया। वे 8-10 हरिजन हैं जो बेचारे अब मारे-मारे फिर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे।

एक बात मैं पंजाब के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बादल हैं, जो बादल गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में हरिजन जाति के काफी लोग हैं। वहां पर अभी तक हायर सेकेन्ड्री स्कूल नहीं बन पाया। इस लिए नहीं बन पाया कि वहां के रहने वाले बड़े-बड़े जमीदार लोग हैं, बड़ी बड़ी जमीन के मालिक हैं, उनके बच्चे सब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और वे वहां पर स्कूल नहीं खोलने देते। इसलिए कि यदि हरिजनों के बच्चे पढ़

जायेंगे तो ये हमारे सामने सीना उठा कर चलेंगे ।

मैं जानना चाहता हूं कि जो मुद्दे मैंने सरकार के सामने रखे हैं, उन पर सरकार ध्यान दे और अमल करने की कोशिश करे ।

श्री रामधन (लालगंज) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या जब तक युद्ध स्तर पर हल नहीं की जायेगी, तब तक यह हल नहीं होगी । इस सदन में जो बहस चल रही है, उसमें सभी पक्ष के लोगों ने अस्पृश्यता निवारण के बारे में कहा है, समय कम होने के कारण मैं विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यता निवारण के लिए जब तक सरकार कड़ाई के साथ कदम नहीं उठायेगी, तब तक कुछ नहीं होगा ।

आप जानते हैं कि अस्पृश्यता के सम्बन्ध में संविधान में हमने जो कानून पास किया है । हमारे यहां नियम है कि हर महीने हर मजिस्ट्रेट एक स्टेटमेंट तैयार करता है और वह स्टेटमेंट भारत सरकार के पास आता है । एक तरह से यह रुटीन का काम हो गया है, हर स्टेटमेंट में यही लिखा होता है कि कोई केस नहीं आया । लेकिन असलियत यह है कि थानों में पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लिखती । जब भी कभी कोई ऐसा मामला आता है—पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती ।

आज हमारे बहुत से प्रगतिशील भाई जो साम्यवादी विचारधारा के हैं, उन लोगों ने भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे जाहिर हो कि वे भी अस्पृश्यता निवारण करना चाहते हैं, हालांकि मार्क्स ने भी इस बात को बिलकुल नहीं माना है । रोटी-बेटी के सवाल को ही ले लीजिये, जब तक अस्पृश्यता को रोटी बेटी का सवाल नहीं बनाया जायेगा, जब तक अन्तर्जातीय विवाह नहीं होंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी, लेकिन मैं देखता हूं कि साम्यवादी दल में भी कोई अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है । कोई भी ब्राह्मण साम्यवादी अपनी बेटी हरिजन को देने के लिए तैयार नहीं है—यह मार्क्सवादी सिद्धान्तों का कितना उपहास है । मैं कहना चाहता हूँ—छोड़ दीजिये रूढ़ीवादी पार्टियों को, वे तो सड़ी हुई हैं, गली हुई हैं, लेकिन दूसरे जो अपने को प्रगतिशील होने का ढिंढोरा पीटते हैं, वे भी नहीं करते, ऐसी हालत में मेरा कहना है कि जब तक रोटी-बेटी की समस्या हल नहीं होगी जब तक अन्तर्जातीय विवाह नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

दूसरी बात है—शिक्षा की । शिक्षा के मामले में भारत सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है, जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है । आज जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, मेरा मतलब मान्यता प्राप्त स्कूलों से हैं, उनके मैनेजर्ज ने एक धन्धा, एक रोजगार शुरू कर दिया है । वे लोग अपने स्कूलों में अधिक से अधिक हरिजनों की संख्या दिखला कर छात्रवृत्ति की रकम लेते हैं और उसको हड़प जाते हैं । ऐसे बहुत से मामले पकड़े गये हैं लेकिन सरकार कड़ाई के साथ उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रही हैं, उनको सजा नहीं दिला रही है ।

मैं केन्द्रीय सरकार पर एक चार्ज लगाता हूं । जब काशी विश्वविद्यालय का विधेयक इस सदन के सम्मुख आया था, मैंने शिक्षा मंत्री जी से कहा था कि जब महामना मालवीय जी जिन्दा थे, तब हरिजन छात्रों से प्रवेश फीस केवल दो रुपये ली जाती थी, लेकिन जब से केन्द्रीय सरकार ने उस विश्वविद्यालय का चार्ज लिया है, उनसे पूछिये कि कितनी फीस ली जाती है । हरिजन छात्रों को जो रियायतें महामना मालवीय जी और डा० राधाकृष्णन् जी ने दी थीं, वे अब वहां नहीं हैं । हमारे बाबू जी भी सौभाग्य से इस समय में

[श्री रामधन]

सदन में उपस्थित हैं। ये तो वहां के प्राचीन छात्र हैं, ये बतायें कि काशी विश्वविद्यालय में हरिजन छात्रों को क्या रियायतें दी जाती थीं और आज कांग्रेस सरकार द्वारा उसको ले लेने के बाद वहां पर क्या रियायतें दी जा रही है ? तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ ऐसी संस्थायें थीं जो कि स्वेच्छा से हमको रियायतें देती थीं वह भी खत्म की जा रही है।

आपने आई० ए० एस० आदि की ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोल रखे है लेकिन इन छात्रों को वहां पर शान्तिपूर्वक पढ़ने नहीं दिया जाता है। सवर्ण छात्रों द्वारा वहां पर उपद्रव पैदा किए जाते हैं ताकि वे शान्तिपूर्वक पढ न सकें। आपने दो केन्द्र स्थापित किये हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में यह केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिएं।

आज हरिजनों के समक्ष मकानों की समस्या बड़ी गम्भीर है। हमने दस सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा बहुत सुना है लेकिन आज हरिजनों को मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में चकबन्दी चल रही है लेकिन हरिजनों के घर ठाकुर, ब्राह्मण और पुराने जमींदारों के चकों में एलाट किये जा रहे हैं। जो शिकायतें की जाती हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। चकबन्दी विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री जगन्नाथ राव ने केन्द्रीय हरिजन कर्मचारियों के लिए कुछ आउट आफ टर्न एलाटमेंट मकानों का शुरू किया था परन्तु जबसे वे उस विभाग के मन्त्री नहीं रहे उसके बाद से वह भी बन्द हो गया है। फिर एक बात यह हुई कि हरिजन कर्मचारियों के लिए मकान सुरक्षित किये जायें, सदन में भी उसपर चर्चा हुई लेकिन उसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम रोज लिखते हैं लेकिन यही जवाब आता है कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इन्होंने मंत्रालय सम्भाला है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हरिजनों के लिए आउट आफ टर्न एलाटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हरिजनों को दूसरी जगहों पर मकान नहीं मिलते हैं। आज मकानों की सबसे बड़ी समस्या हरिजनों के सामने है।

भूमि सुधार के बारे में आजकल बड़ा वावला मच रहा है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि यह संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है और प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। लेकिन मैं कहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की समस्या को लेकर रोज संविधान की हत्या की जा रही है, रोज कानून की अवहेलना हो रही है, और रोज प्रजातन्त्र का गला घोटा जा रहा है लेकिन उस सम्बन्ध में हम कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। मेरा कहना है कि जब तक आप हरिजनों की समस्या को अपने कार्यक्रम में यूद्धस्तर पर हल करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पायेंगे। आप एक क्रान्तिकारी हैं, आप जानते है कि हमने स्वराज्य इसलिए प्राप्त की थी कि गरीबों को आजादी मिलेगी। मुझे भी राजनीतिक संग्राम में मौलिक रूप से भाग लेने का मौका मिला था लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारा स्वप्न था वह बिलकुल अधूरा रह गया है। 23 साल में कुछ भी नहीं हो पाया है। आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार आज यहां पर हरिजनों की बदौलत टिकी हुई है। अगर केन्द्रीय सरकार काफी दिनों तक यहां पर रहना चाहती है तो उसके लिए आवश्यक है कि हरिजनों की मांगों को पूरा करे वरना केन्द्रीय सरकार का तखता उलट जायेगा।

यहां पर नौकरियों में रिजर्वेशन की बात कही जाती है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नौकरियों में जितना रिजर्वेशन है उससे ज्यादा टर्मिनेशन है। अगर 25 फीसदी रिजर्वेशन है

तो 30 फीसदी टर्मिनेशन है। यानी जितने रेकूट किये जाते हैं उससे ज्यादा निकाल दिये जाते हैं। हमारे बाबू जी ने रेलवे में हरिजनों को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिलाया था उसको खत्म कर दिया गया है। एक व्यवस्था यह भी हुई थी कि हर विभाग में एक अफसर नियुक्त होता था जिसके द्वारा हरिजनों की मांगे पूरी होती थी लेकिन उसको भी समाप्त कर दिया गया है। मैं पूछता हूँ कहां है आप का समाजवाद ? अगर यही स्थिति रही तो मैं आप से कहता हूँ, आप हिन्दी प्रदेश के हैं, हिन्दी में कहावत है—मरता क्या न करता। आप भले हीं उनको आतंकवादी या दुस्साहसवादी कहें और उनकी निन्दा करें लेकिन एक दिन ऐसा आयेगा जबकि वह आपके बताये हुए मार्ग पर चलेंगे या जैसे आपने ब्रिटिश राज्य का खात्मा किया था वैसे ही वे इस समाज की चारदीवारियों को तोड़ करके एक नये समाज का निर्माण करेंगे जिसमें हरिजनों और अनुसूचित आदिम जातियों को भी एक समान अवसर मिलेगा।

SHRI S KANDAPPAN (Mettur): Mr. Chairman, Sir, under our Constitution we have got two Commissioners, one for the linguistic minorities and the other to look after the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who doubtfully produce annual reports which nobody is authority bothers to read.

MR. CHAIRMAN: The business Advisory Committee has directed me to call the Minister at 4 30 but as there are many speakers, I will request you not to take more than five minutes so that I will be in a position to accommodate some more.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA): May I say that there must be some definite procedure ? I am in favour of Members getting as much time as possible because it is a very important national subject, but I do not want the Ministers to be put on the waiting list. Therefore you please tell us definitely at what hour we speak, even if it is tomorrow. If you make us uncertain about the day of our reply, there will be some uncertainties. So far as Government is concerned, you have to allot a definite time and stick to it, even if it is day after tomorrow.

MR. CHAIRMAN: I am calling you at 5 O'Clock.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): इसपर खाली हरिजन ही क्यों बोलें। हम भी इसपर बोलना चाहते हैं। हमको भी मौका मिलना चाहिए।

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Sir, yesterday I made a submission that in view of the fact that four reports are clubbed together, it is logical and necessary that a minimum of 20 hours should be allotted. There is nobody on the Business Advisory Committee coming from these downtrodden people, that is, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and therefore our case has gone by default. But even if five hours are taken for each report, it becomes a minimum of 20 hours Therefore our earnest demand is that the total allotment of time should be not less than 20 hours If any time is curtailed from it, we will not be satisfied. We are not going to agree to anything less than that and you will have repercussions in this House to that.

SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga): We will start a time-grab.

MR. CHAIRMAN: I am bound by the decision of the Business Advisory Committee. It is better if you approach the Speaker. If he directs me, it is another thing. I can only deviate by 15 or 20 minutes or half-an hour but not more than that. So, it is better that Members take less time and I am in a position to allow the maximum number.

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव): आप इसपर ज्यादा वक्त दिलाइये। यह हरिजनों की प्राब्लम कोई ऐसी नहीं है जिसको कि ऐसे ही छोड़ दिया जाये।

(شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں): آپ اس پر زیادہ وقت دلائے۔ یہ ہریجنوں کی پرابلم کوئی ایسی نہیں ہے جس کو کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے)

SHRI SONAVANE: With all the humility I have to submit that it was necessary that some Members who demanded this much time should have been invited to the Business Advisory Committee meeting to place our viewpoint. That was not done.

Now, in the wisdom of the Business Advisory Committee, they have done that. But in our wisdom, we feel that 20 hours is the minimum time that should be allotted for this discussion. Nothing less than that .. (*Interruptions*) Here, we are not allowed to speak even. This is the height of injustice...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You allow the business to go on. Let me think over it.

श्री शम्भू नाथ: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह समय बीस घण्टे का कर दिया जाये।

श्री सूरज भान: मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस हाउस का कंवेंशन है कि जब-जब यह रिपोर्ट डिस्कस होती है तब उसमें मिनिस्टर फार सोशल वैलफेयर के पार्टिसिपेट करने के पहले होम मिनिस्टर इन्टरवीन करते हैं ताकि वह सर्विसज के बारे में जवाब दे सकें। मैं कहता हूँ कि होम मिनिस्टर यहां पर हैं नहीं। इसलिये इस बात को ध्यान में रक्खा जाय कि पहले होम मिनिस्टर जवाब द : उसके बाद श्री हनुमन्थैया जवाब दें। चूंकि आज यह मुमकिन नहीं हो सकेगा इसलिये लाजिमी तौर पर इस डिबेट को कल तक के लिये पोटस्पोन करना होगा।

SHRI SARDAR AMJAD ALI (Basirhat): The way the hon. Minister reacted, it appears, he is very much restless to reply to this debate. This is a very serious and important discussion. We expect the hon. Minister to have patience and to hear the views of the hon. Members. The time should be extended. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let us continue the debate. Shri Kandappan.

SHRI HANUMANTHAIYA: Is it the case that the debate will continue for the whole day? I am not coming in the way of an extension of time. I will be happy about it. There should be some definiteness about it.

MR. CHAIRMAN: I am asking the Minister of Parliamentary Affairs. The whole House wants an extension of time.

SHRI SONAVANE: It should be 20 hours. Every year, the Reports are submitted. But they are not discussed. This is the tactic to club all the Reports together. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): I do not want to stand in the way of the House discussing these Reports fully. I would only request the hon. Members to extend the time in a reasonable way to give chance to everybody. I am in a little difficulty. I am just coming from the meeting of the Business Advisory Committee where all the parties are represented and they suggested that the debate should conclude today. (*Interruptions*)

SHRI SONAVANE: The time should be extended to 20 hours. There is nobody even in the Panel of Chairmen belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes .. (*Interruptions*)

SHRI RAGHU RAMAIAH: Sir, you know the feelings of the House. Whatever you do, the Government will stand by it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The feeling of the House...(*Interruptions*)...The feeling of the House is that they want more time. I am not calling the Minister today. I will call him tomorrow. Meanwhile the discussion will go on and at 5.30 the half-an-hour discussion will take place.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Tomorrow how many hours are allotted, Sir?

MR. CHAIRMAN: That will be decided by the Speaker. But today it will continue.

SHRI SONAVANE : I beg to move :

"That the time allotted to the two motions now under discussion be increased to 2 ½ hours."

SHRI ABDUL GHANI DAR : I second it.

MR CHAIRMAN : I request you to meet the Speaker and have more time allotted. Today it will continue. It will not end today. It will continue tomorrow.

SHRI SONAVANE : Sir, our voice is not being heard. Our voice is being stifled in every sphere.

MR. CHAIRMAN : As I said the discussion will continue today and you please meet in a batch the Speaker and decide how much time has to be allotted.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : May I say a word, Sir ?

SHRI SHEO NARAIN : I come from the Business Advisory Committee. The Chief Whip just now said that he has left it to the House, and the House is Supreme. Now the House will take a decision I support Mr. Sonavane's motion that 20 hours be allotted for this discussion.

SHRI R. D. BHANDARE : A proposition is made. The motion is moved that an allotment of 20 hours should be made to this subject.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Amendment—30 hours.

SHRI R. D. BHANDARE : We have spent so far 8 hours, and I would request both the mover of the proposition, Mr. Sonavane, and the House that tomorrow 4 hours more may be taken so that 10 hours in all would be given to this subject.

SOME HON. MEMBERS : No, No.

SHRI SHEO NARAIN : The House will sit for 12 hours more. I support the demand for 20 hours. When the Chief Whip has left it to the House, it is the House which should decide it. The House is supreme.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : The Parliamentary Affairs Minister has said that the House may abide by the decision of the Business Advisory Committee and he has left it to you to decide how much time should be allotted. Now a motion has been moved

SHRI R. D. BHANDARE : Why not Dr. Ram Subhag Singh argue it in the Business Advisory Committee ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : Mr. Sheo Narain is our Member. He agreed with the decision of the Business Advisory Committee. Now the Parliamentary Affairs Minister says that we can go beyond that and he authorised the Chairman to take any decision. Now it is before the House.

SHRI S. M. BANERJEE : I rise on a point of order. In the Business Advisory Committee this question was raised. At that time we were told...*

MR. CHAIRMAN : What happens in the Business Advisory Committee is their own internal matter This will not be recorded.

SHRI RAGHU RAMAIAH : In view of the strong feelings I will make a suggestion that we may discuss it tomorrow.

MR. CHAIRMAN : Now, is Mr. Sonavane withdrawing the motion ?

SHRI SHEO NARAIN : No, Sir. How can he withdraw the motion ? It is the property of the House. He cannot withdraw the motion.

SHRI SONAVANE : If this suggestion had come earlier, if the Members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were vociferous and demanding 20 hours had been invited to the Business Advisory Committee, I think we would have been reasonable. I feel pained at the way the Parliamentary Affairs Minister is doing things. I don't blame him ; there is much

*Not recorded.

[Shri Sonavane]

pressure of time. But the entire thing is not being done properly; the Commissioners' reports are being piled up; and the way these matters are being treated and the scant attitude shown to this problem are the matters which are worrying us. Let it be held over till tomorrow. I have no objection. Let my motion be taken up tomorrow if necessary. I have no objection.

MR. CHAIRMAN: I will take the pleasure of the House.

SHRI SHEO NARAIN: No, Sir. We want voting to take place. Since it is the property of the House, he cannot withdraw it.

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Sonavane had moved a motion which is a verbal motion, he did not submit it in writing. The representative of Congress (O) was present in the Business Advisory Committee...*

MR CHAIRMAN: I am not allowing anybody. That will not go on record. The motion is that the time on this discussion may be extended to 2½ hours.

SHRI PILOO MODY: He cannot withdraw the motion without the permission of the House, and the House does not grant him that permission. These motions are not frivolous affairs that can be flung every day at the will of each Member.

MR. CHAIRMAN: That is why I am putting it to the vote of the House.

The question is

"That the time allotted to the two motions now under discussion be increased to 20 hours."

Let the Lobby be cleared.

SHRI RAGHU RAMAIAH: We are not opposing the motion. We are not challenging a division.

The motion was adopted.

17.00 hrs.

SHRI S. KANDAPPAN: I am glad that the members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have got, if not anything else, at least some more time to ventilate their grievances

I am sorry that the hon. Home Minister who came here,—hurried here to be present in time for the voting thinking that this Government might fall by a snap vote, immediately vacated the place without bothering what the matter was about and without caring to know the demands being made from various sections of this House I wish that the Home Minister takes a little more interest in the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes than we find today on this discussion.

The reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have not been discussed for four or five years. Now we have been discussing them. Hon. members preceding me have said that Government are not very keen to bring these matters to the attention of the concerned authorities. To my mind, there are two reasons why Government are not very keen even to discuss the Reports of the Commissioner annually For one thing, we all know that most of the recommendations pertain to what are happening in States and the Central Government invariably come with the reply that these are matters which the State Governments have to take up. For another, the central department concerned does not have enough funds at its disposal to touch even the fringe of this stupendous problem facing them. When so many members have spoken good words about Shri Hanumanthaiya being very sympathetic and having a lot of good feelings for the Harijans, I was wondering what his sympathies would avail with the paltry sum at his disposal. These empty slogans are not going to solve the agonising problems these millions of our countrymen are facing today. I should like to propose seriously that the Social Welfare Department at the Centre ..

SHRI PILOO MODY: ...be wound up.

SHRI S KANDAPPAN: Before I say that, let me preface it by saying that the

*Not recorded.

Social Welfare Department at the Centre does not exclusively attend to the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is one of their multifarious activities which include publication of many papers—I do not know whether anybody cares to read them—child welfare activities, so many women's clubs and widow welfare and what not. This work forms a small part of the total work that that department does. If the Centre is serious about it, this should be a department exclusively devoting itself to the work of their uplift and not a comprehensive department of welfare attending to the welfare of labour, handicapped people, etc. with hardly little reserves at their disposal. Eventually the Harijans do not get much out of this paltry allocation. I am afraid that a major share of the allocation for this department goes to defray the various establishment charges so that nothing reaches the bottom the people for whom it is intended. Obviously, the logical conclusion, as Piloo Mody anticipated, is to wind up the entire department and Harijans will not suffer for it. My plea is either the Government should be serious about it and improve its working and make it an exclusive department working for the betterment of the down-trodden people or they better leave it to the States—the entire job. The Centre has not lived up to its commitment to the States in respect of this work. They undertake to defray a share of the expenses of the States on these matters, as some hon. Members have already pointed out but do not do so If at all the Centre is going to continue doing this work and also help the States, there are ways by which they can do so. I do not mean to say that they can help the States only financially I shall give one or two examples. In my State there is a programme of rural electrification ; the State Government has made a commitment to cover the entire rural area by the end of 1971. How far we succeed in it will depend upon the raw material availability ; we are facing some difficulties now on that account. Reverting to the subject under discussion, we have issued an order that when a village applies for electricity, if it includes Harijan localities also and gives priority to that area, that application is given preference In many panchayats the President may be a hard-core conservative and may not care for the Harijans ; still in order to get electricity for his village, he has to give priority to Harijan locality. This is a way of pressurising and speeding up things and at the same time helping the Harijans in many rural areas the Harijans localities are getting electricity at a faster rate without any exclusive financial involvement on the part of the State Government.

Because the panchayats themselves have to come forward to bear these expenses. Like that, there is another scheme. I cannot say that it is as yet a great success, but we are at it and it is being tried increasingly in our State. That is with regard to giving licences for bus-route operation. The people are asked to form themselves into co operatives and the co-operatives are given preference. What we have done recently is—

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

SHRI S. KANDAPPAN : Sir, although I started at 4.45, really I was not able to continue. The other things took my time. *(Interruption)*

MR CHAIRMAN : I know ; anyway you started at 5 O'clock.

SHRI S. KANDAPPAN : Anyway, there is ample time. Probably you may not have enough speakers tomorrow. What we have done recently is that with regard to co-operatives also we give preference to young Harijan people who are literate, who are educated, and who can manage this sort of undertaking, and who have some engineering training or automobile training or some knowledge of the working in the automobile business We have encouraged them to form themselves into co-operatives and tried to get finances for them through our banks. If the Government of India could think of some such measures and if they can inform the States that if the States could formulate some such schemes with a view to uplifting the economic condition of the Harijans, definitely it could to a very great extent help them.

Some hon Members have pointed out the economic condition of these people and said that it is that aspect which matters much. After all, if a man is rich, all our caste differences do not greatly bother him. It does not have any adverse impact on his social life. We see it every day in urban centres

[Shri S. Kandappan]

as well as in rural centres. The hon. Member, Shri Suraj Bhan, was telling us the other day that some M. P. was not treated properly, but probably that M P. is poor. If he was rich enough, I think he would have been given a red carpet welcome and nobody would,—even a caste Brahmin—have hesitated to give his daughter in marriage to a rich fellow. That is the sort of psychology that we find in our country either in the rural areas or in the urban areas. So, apart from the lip sympathy that we often are inclined to show to this important problem, it is high time that we attended seriously to the economic aspect of it. That is most vital In that connection, the hon. Minister may well invite the Chief Ministers for a conference and try to make out as to what are the possible means by which they can implement some of the welfare measures to benefit the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Then there is another important aspect of it. Everybody has spoken about the problem of untouchability. I am afraid in our country, particulary since the introduction of adult franchise, since the election and the popularity of elections, the caste differences, instead of getting obliterated, are becoming more and more marked and getting more and more rampant and are deteriorating into a very ugly social relationship among the communities

SHRI PILOO MODY : That is why he DMK was started.

SHRI S. KANDAPPAN : That is right.

SHRI PILOO MODY : And the Swatantra party is considered as untouchables.

SHRI S KANDAPPAN : Obviously, Shri Piloo Mody may not know much about the origin of the DMK, and for the benfit of Shri Piloo Mody as well as other Members, I would like to tell the House that the only solution in this country, to my mind, appears to be the sort of social organisation that was started in the early thirties in our part of the country by Shri E. V. Ramaswami Naicker. That grand old man is still continuing the work. Some Members from the Congress side, in a rather challenging mood, were telling the Ministers on the Treasury Benches that if the Harijans are treated like this there will probably come a time when they will pull together and try to see that by their strength they influence others and that sort of thing.

Then they are others who said, no political party will deliver the goods and they will have to stand on their own legs. From our experience I can say that unless you have a sort of social organisation to help yourselves, this problem is very difficult to solve, because political parties are inclined to look to all sides, soft-pedal and issue palliatives and platitudes. They do not takle the problem and the problem is aggravated. This is the sort of approach that the backward people will have to make. I am sure in due time they will realise this, take up the challenge ann socially try to stand on their legs and improve the lot of their people.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, सब से पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट जो कमिश्नर की है इस के लिए 8 घटे की बहस बढ़ कर 20 घण्टे हो गई और जिन भाइयों को मौका नहीं मिला था वह अब डबल टाइम ले कर मौका निकालेंगे और जो पहले बोल चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि उन को भी दोबारा बोलने का मौका मिलेगा। कुछ प्वाइन्ट जो रह गए हैं उन को वह शायद अब कह सकें।

यह कोई जजबात की बात नहीं, यह हकीकत है कि हमारे देश की बदनामी बाहर देशों में इस वास्ते भी ज्यादा है कि हमारा समाज एक बहुत बड़ी अकसरियत के साथ जो देश की 50-55 करोड़ आबादी का चौथा हिस्सा है, उन के साथ इन्सान का सुलूक नहीं करता रहा है। उस ने कीड़े मकोड़ों की जिन्दगी उन की समझी। उन को इन्सान नहीं समझा। भाई नहीं समझा और आज नहीं, हजारों साल से इस किस्म का इतिहास बना डाला दुनिया के सामने कि हम उस का सच्चाई से, अकड़ के साथ कोई जवाब नहीं दे सकते बाहर के आदमियों के सामने। किताबों की किताब

लिखी गई, मिस मेयो की किताब लिखी गई, बाहर तमाम फोटो छपे यहां की ऐसी बातों के जो सही थीं और हमारी बदनामी हुई। हमारे देश में ऐसी पुरानी गलत बातें चलीं... (व्यवधान) .. समाज ने चलाई, मुल्क के निजामे हुकूमत ने बर्दाश्त कीं और सैकड़ों नहीं हजारों साल से वह चीज चली आई जिस का नतीजा यह भी हुआ कि हम गुलाम रहे हजारों साल तक, बाहर से हमलावर आए, वह हमें कमजोर करते रहे, देश गुलाम बना, तवारीख हमारी गुलामी की रही, कमजोर हमारी कोमियत रही और इन्सान-इन्सान में फर्क रहा, बदगुमानी रही। एक मजबूत कौम एक मजबूत देश हम बन नहीं पाए। आज हमें टटोलना पड़ेगा, अपने दिल को टटोलना पड़ेगा, हमारे समाज का जो शुरू से आखीर तक ढांचा रहा है उस को और फिर उस आईने में, उस तारीख में हमें तमाम हिन्दुस्तान को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो मैं कोई जजबाती बात नहीं कहता, वही हमारी तारीख रहेगी, वही हमारा कमजोर देश रहेगा, वही हमारा निजामे इतिहास बना रहेगा और हमारा आइन्दा मुस्तकबल अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम बदल गए तो ठीक है जैसे कि दूसरे देश बदलते हैं. राजनीतियां बदलती हैं, हर रोज बदलती हैं. चौबीस-चौबीस घंटे में बदलती हैं लेकिन जमीं जुम्बद न जुम्बद गुलमुहम्मद अगर हम नहीं बदले तो इन्क्लाब बदल देगा और न बदलने वाले पसर जाएंगे, पाश-पाश हो जाएंगे जो आदमी नहीं बदलना चाहें, यह कोई सियासी बात मैं नहीं कहता। सोशल जस्टिस हमारे प्रीऐम्बल में लिखा हुआ है, विधान में बड़ी-बड़ी बातें दे रखी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में भी, अब वक्त आ गया है कि जो बातें कही जाती हैं वह करनी भी पड़ेगी और नहीं करेंगे तो कहां दबते हैं लेकिन दबाने वाला चाहिए, झुकते हैं लेकिन झुकाने वाला चाहिए और झुकाने वाला मवाद हिन्दुस्तान में मौजूद है।

आज 55 करोड़ आदमी इस ख्यालात के हैं कि जो सुलूक इन भाइयों के साथ हो रहा है वह सुलूक बन्द होना चाहिये, यह समाजी लूट-खसोट बन्द होनी चाहिये, यह सियासी गल्बा खत्म होना चाहिये और जिस का जितना हक है, सियासी, इकत्सादी और समाजी, वह हक इन भाइयों को मिलना चाहिये। मैं यह कोई लफ्फाजी बात नहीं कह रहा हूं, तकरीरी बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि अब पानी सिर से गुजर चुका है, दीवारों पर लिखाई मौजूद है, जो नहीं पढ़ेगा, वह अन्धा है और अन्धा ही रहेगा। जमाना बदलेगा, तारीख बदलेगी और वह बात हो कर रहेगी जो होनी है। मैं समझता हूं यह हमारे देश पर कलंक है, हमारी कौम पर बदनुमा धब्बा है कि इन्सान-इन्सान के बराबर नहीं है। इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी का नारा रूस ने और मार्क्स ने लगाया, लेकिन हम ने तो अपने संविधान में उन को यह हक दिया है, मुझे अफसोस है कि अमल कुछ नहीं हैं।

हमारे देश में इंक्लाब आया, आजादी मिली, सियासी आजादी हमें मिली, लेकिन जो हमारा मेहनतकश तबका है, कमाऊ है खाऊ नहीं है, जिस पर हमें फक्र है, जो देश को कमा कर देता है, जो मजदूर तबका है, किसान तबका है, उस का हक अब हमें देना पड़ेगा और अगर नहीं देंगे, मैं बार-बार रिपीट नहीं करता हूं, उस का इलाज होकर रहेगा और समाज उस का इलाज करेगा। यहां एक बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं—कहने में मुझे शर्म नहीं है, हम ने हजारों साल पहले एक बात कही थी, मेरे दूसरे भाइयों ने उस का जिक्र किया है, उस के लिये हमें पश्चाताप करना चाहिये, रिपेन्ट करना चाहिये यह कौमी काम होगा, इंटीग्रिटी का काम होगा। सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी अगर हम अपनी गल्ती को कुबूल करते हुए यह कहेंगे कि जिन भाइयों के पिछड़ेपन के हम जिम्मेदार हैं, जिन की बरबादी के

[श्री रणधीर सिंह]

हम जिम्मेदार हैं, जिन को अब तक समाज में पीछे रखा गया है, आज हमें उन को नीचे से ऊपर उठाना है। आज जो इलाके देश में पिछड़े हुए हैं, उन को डवेलप करने के लिये हम ज्यादा रुपया लगाते हैं, उन को बराबर लाने की कोशिश करते हैं, इलाकों की जमीन को, पत्थर को हम बराबर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान को हम बराबर नहीं लाते—यह कैसा मजाक है। यह तबका जो 20-25 करोड़ का तबका है, जिस ने हमें बड़े-बड़े गुम्बद दिये, नई दिल्ली के आलीशान महल दिये, बड़े-बड़े शहरों में आलीशान कोठियां दीं, आज बाबू बने फिरते हैं उनके कपड़े, उनके जूते किस ने बनाये ? यही लोग हैं, यही वह मेहनतकश इंसान है, जिस ने हमारे लिये इन चीजों को बनाया, लेकिन वह खुद किस हालत में है ? अब वक्त आ गया है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो भी हमें उन के साथ मुहियां करना होगा। हम उन पर चैरिटी नहीं करते हैं, उन के साथ फेवर नहीं करते हैं, मेहरबानी नहीं करते हैं—यह उन का हक है और हमारा फर्ज है, हमें अपने फर्ज की अदायगी करनी चाहिये। जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में सरदार प्रताप सिंह कैरो ने एजूकेशन-सेस लगाया था। तामील के लिये एक टैक्स लगाया था और सब ने दिया था, उसी तरह से इन भाइयों को लिये अपने किये हुए का पश्चाताप करने के लिये हमें सेस लगाना चाहिये। वालंटैरिली इसे अपना फर्ज समझ कर हर भाई से एक-एक या दो-दो रुपया इकट्ठा किया जाय और उस रकम से एक डवेलपफण्ड मुकर्रिर किया जाय और सेंट्रल गवर्नमेंट उस में मैचिंग ग्रान्ट दे। इस तरह से अगर हम एक कारपोरेशन बनायें तो इस से उन भाइयों के अन्दर एक कान्फीडेंस पैदा होगा और वे महसूस करेंगे कि हिन्दुस्तान सिर्फ लफ्फाजी बातों से हमें खुश नहीं करता है, सही मायनों में कुछ करना चाहता है। यह कोई जजिया नहीं, टैक्ट नहीं है, बल्कि एक बालंटैरी कान्ट्रीब्यूशन है। ये भाई अपने मुंह से नहीं कहते—इन को कहना भी नहीं चाहिये—यह तो हमारा फर्ज है, जिसे हमें पूरा करना है।

एक बात मैं खास तौर से कहना चाहूंगा—एक बड़ा भारी ग्रैब-मूवमेंट चल रहा है। सब को पता है कि वह एक मदारी का तमाशा है। इन भाइयों को अपनी तरफ लाने के लिये अलग-अलग किस्म के हरबे इस्तेमाल किये जाते हैं, तमाशा दिखाया जाता है, जैसे कलन्दर बन्दर को नचाता है और नचा कर पैसे अपनी जेब में डाल कर बन्दर से कहता है कि अब तुम आराम करो, ऐसा ही हमारे देश में इन गरीबों से काम निकालने के लिये वे लोग हर तरह का बहरूपियापन करते हैं, खेल दिखाते है, जैसे मदारी शाब्देबाजी करता है, उस तरह से करते हैं—ठीक है, इन को हक हासिल है, वह करें। लेकिन चेयरमैन महोदय, हमारे लोग बहुत होशियार हो गये है। अनपढ़ जरूर हैं, पिछड़े हुए जरूर हैं, गरीब हरिजन जरूर हैं, लेकिन वे इन लोगों की हर चाल को समझते हैं। मेरे अपने शहर में क्या हुआ ? 10-15 दिन पहले, दो चार पार्टियों के पांच-सात भाई इक्ट्ठे हुए, लाल झण्डी लगाई सौर 100 गरीब आदमियों को जेल में डलवा दिया। कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया, फौरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया, एक भाई ने कर्जा लेकर प्लाट लिया था, उस पर कब्जा कर लिया और साथ-साथ कुछ और जमीनों पर भी कब्जा कर लिया। मैं इस बात के हक में हूं कि देश में जितने बड़े-बड़े जमीदार हैं उन पर सीलिंग लगाई जाय। 25 या 30 स्टैण्डर्ड एकड़ की सीलिंग मुकर्रिर की जाय इस काम के लिये एक महीना ले लें, दो महीने ले लें या ज्यादा से ज्यादा तीन महीने ले लें, लेकिन इस अर्से में यह चीज तय हो जानी चाहिये, 25 या 30 स्टैण्डर्ड

एकड़ से ऊपर जितनी भी जमीन है, ए०बी०सी०डी० किसी की भी हो, वह ले ली जाय। जितने बड़े-बड़े फार्म हैं—टाटा, बिरला के, डालमिया के, रजबाड़ों के और बड़े-बड़े अफसरों के, जैसे बिजवासन में हैं, जो लोग सीलिंग को डिफीट करने की बात करते हैं, किसी ने अपने नाम पर बना रखा है, किसी ने बीबी के नाम पर बना रखा है, किसी ने आचर्ड नाम रखा हुआ है और लोगों को लूट रहे हैं, उन सब को ले लिया जाय। इसके अलावा जितनी जमीन गवर्नमेन्ट की है—फौरेस्ट की है जो इस्तेमाल में नहीं आती है, नहरों के साथ-साथ है, नजूल की जमीन है या ऐसी जमीने हैं जो गवर्नमेन्ट के पास पड़ी हुई हैं—मिलिट्री ने बहुत सी जमीनों को एक्वायर किया हुआ है, लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं, उन सब जमीनों को इन भाइयों को एलाट किया जाय। यह काम एक-दो दिन में नहीं होगा, इस में टाइम लगेगा, महीना, दो महीना, तीन महीना ले लें, लेकिन काम होना चाहिये, लफ्फाजी बातें नहीं होनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ—अगर गवर्नमेन्ट ने यह बात नहीं की, तो ज्यादा अर्सा कोई इंतजार नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है, कोई न कोई बात इस सिलसिले में होनी ही चाहिये—सीलिंग मुकर्रिर की जाय, सारे देश में तमाम सरप्लस जमीन को लिया जाय, इस के लिये वक्त मुकर्रिर किया जाय, तीन महीने के अन्दर-अन्दर सारी जमीने इन भाइयों को एलाट कर दी जाय।

लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं—सिर्फ जमीनों से ही 25-30 करोड़ आदमियों का बन्दोबस्त नहीं हो सकता, सिर्फ 1 एकड़ जमीन या 2 एकड़ जमीन या चार बीघे जमीन से काम चलनेवाला नहीं है। देहात के गरीब किसानों या गरीब मेहनतकश मजदूरों में कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं है, दोनों के दोनों बंगले हैं। किसान के बदन पर लंगोटी है और मजदूर के बदन पर लंगोटी भी नहीं है। मेरे ये भाई जो मदारी बैठे हैं इन्होंने उस बेचारे नंगे मजदूर को लंगोटी वाले छोटे किसान के चिमटा दिया है, उस की लंगोटी उतार लो। कोई लम्बा चौड़ा फर्क नहीं है, उस की लंगोटी उतर जाएगी तो एक या दो एकड़ वाला भी नंगा और ये नंगे हैं ही। उस के बाद दिल्ली, बम्बई या कलकत्ते में जा कर ये लोग एक तरफ मुंह में सिगरेट लगा कर दूसरी तरफ से धुंआ निकालेंगें—खूब इन भाइयों को बेवकूफ बनाया, चन्दा इकट्ठा करेंगे, पार्टी के लिये मेम्बर भरती करेंगे, जलूस निकालेंगे, माला वगैरह पड़ेंगी और उस बेचारे मजदूर या किसान पर 20-20 मुकदमें चलेंगे और ये लोग हंसेंगे, कैसा पागल बनाया। मेरे जितने हरिजन और बैकवर्ड भाई हैं, वे आप को खूब समझते हैं।

सभापति महोदय : आप इस को फिर जारी रखियेगा।

17.29 hrs.

ARREST OF MEMBER

(Shri Sarjoo Pandey)

MR. CHAIRMAN : I have to inform the House that the Speaker has received the following wireless message, dated the 11th August, 1970, from the Sub-Divisional Magistrate, Jaunpur :

> "Shri Sarjoo Pandey, member, Lok Sabha, arrested today at Jaunpur at 10.30 P. M., under Section 114, Criminal Procedure Code, and lodged in District Jail, Jaunpur, under order of Sub-Divisional Magistrate, Jaunpur."

———

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Indo-Nepal Trade Talks

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : Mr, Chairman, Sir, our present Treaty with Nepal on Trade and Transit is to terminate on the